



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - 411018
नागरवस्ती विकास योजना विभाग
अनुक्रमणिका



| अ.क्र. | योजनेचे नाव | पान क्र. |
|--------|--|----------|
| १ | इ. ८ वी ते इ. १२ वी मधील विद्यार्थीनींना सायकल घेणेसाठी अर्थसहाय्य | |
| २ | इयत्ता १० वी मधील मुलींना शैक्षणिक साहित्य घेणेकामी अर्थसहाय्य. | |
| ३ | मुलींना तांत्रिक प्रशिक्षण किंवा अभियांत्रिकी पदाविका अभ्यासक्रमासाठी अर्थसहाय्य. (प्रथमवर्षासाठी) | |
| ४ | इ. १२ वी नंतरचे वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी पदवी परिक्षा यासारखे उच्च शिक्षण घेणा-या युवतींना अर्थसहाय्य (प्रथमवर्षासाठी) | |
| ५ | परदेशातील उच्चशिक्षणासाठी निवड झालेल्या युवतीस अर्थसहाय्य | |
| ६ | मा. अटलबिहारी वाजपेयी - विधवा / घटस्फोटीत महिलेस किरकोळ स्वरुपाचा घरगुती व्यवसाय करण्यासाठी अर्थसहाय्य | |
| ७ | पहिल्या अथवा दुस-या मुलीवर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणा-या महिलेस अर्थसहाय्य. | |
| ८ | मुलगी दत्तक घेणा-या दांपत्यास अर्थसहाय्य | |
| ९ | पाळणाघर सुरु करण्याकरिता अर्थसहाय्य. | |
| १० | सावित्रीबाई फुले पुरस्कार (सामाजिक संस्था). | |
| ११ | सावित्रीबाई फुले पुरस्कार (वैयक्तिक). | |
| १२ | दीड वर्षे पुर्ण झालेल्या महिला बचतगटास अर्थसहाय्य | |
| १३ | १० वर्षे पुर्ण झालेल्या महिला बचतगटास अर्थसहाय्य | |
| १४ | निर्भया अस्तित्व पुनर्वसन योजना - अत्याचारित मुलीला / महिलेला पुनर्वसनासाठी अर्थसहाय्य | |
| १५ | इ. ५ वी ते इ. १० वी मधील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती | |
| १६ | इ. ८ वी ते इ. १२ वी मधील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सायकल घेणेसाठी अर्थसहाय्य | |
| १७ | इ. १२ वी नंतरचे उच्च शिक्षण घेणा-या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना अर्थसहाय्य (प्रथमवर्षासाठी) | |
| १८ | मागासवर्गीय युवकांना परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य | |
| १९ | मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना घरबांधणीसाठी अर्थसहाय्य | |
| २० | पंडित दिनदयाल उपाध्याय - दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती (इ. 1 ली ते वय वर्ष 18) | |
| २१ | दिव्यांग विद्यार्थ्यांना १२ वी नंतरचे वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी यासारखे उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अर्थसहाय्य (प्रथमवर्षासाठी) | |
| २२ | कुष्ठ पिडित व्यक्तींना अर्थसहाय्य. | |
| २३ | दिव्यांग व्यक्तींना उपयुक्त साधन घेणेसाठी अर्थसहाय्य | |
| २४ | विशेष (मतिमंद) व्यक्तींचा सांभाळ करणा-या संस्थेस / पालकांस अर्थसहाय्य | |

| | | |
|----|--|--|
| २५ | पंडित दीनदयाल उपाध्याय दिव्यांग कल्याणकारी (अर्थसहाय्य) योजना | |
| २६ | इ. १० वी मध्ये ८० ते ९०% गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना बक्षीस रक्कम देणे | |
| २७ | इ. १० वी मध्ये ९०% पेक्षा जास्त गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना बक्षीस रक्कम देणे | |
| २८ | इ. १२ वी मध्ये ८० ते ८०% पेक्षा जास्त गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना बक्षीस रक्कम देणे | |
| २९ | इ. १ ली ते पदव्युत्तर शिक्षण घेणा-या अनाथ / निराधार मुलांना शिष्यवृत्ती | |
| ३० | एच.आय.व्ही. / एड्स बाधित मुलांचा सांभाळ करणा-या पालकांना / संस्थांना अर्थसहाय्य | |
| ३१ | एच.आय.व्ही. / एड्स बाधितांना मोफत PMPML बस पास | |



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - १८
नागरवस्ती विकास योजना विभाग - महिला व बालकल्याण योजना



| अ.क्र. | विषय | योजनेची माहिती |
|--------|---|--|
| १ | योजनेचे नाव | इ. ८ वी ते इ. १२ वी मधील विद्यार्थीनींना सायकल घेणेसाठी अर्थसहाय्य |
| २ | आवश्यक कागदपत्रे | १. अर्जदाराने अर्जासोबत आधारकार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक. २. अर्जदाराने अर्जासोबत मतदार ओळखपत्र / मतदार यादीची प्रत या दोन्हीपैकी एक पुरावा जोडावा. (स्वतःचे/ पालकांचे). ३. मागील वर्षाचे रक्कम रु. 2,00,000/- चे आत कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न असलेबाबतचा तहसीलदार यांचेकडील उत्पन्नाचा दाखला अथवा २ लाखापर्यंत उत्पन्न नमूद असलेले रेशनकार्डची प्रत. ४. मागील वर्षी उत्तीर्ण झाल्याची गुणपत्रकाची प्रत (किमान ५०% गुण) ज्या प्रमाणपत्रावर CGPA नमूद असेल त्यांच्या बाबतीत किमान CGPA 5.3 आवश्यक. ५. अर्जदाराने खोटी / चुकीची कागदपत्रे सादर केल्याचे आढळून आल्यास कायदेशीर कारवाई करणेत येईल. ६. अर्ज पात्र झाल्याचे या कार्यालयामार्फत कळविल्यानंतर सायकल खरेदी केल्याची GST नंबर असलेली पक्की पावती सादर करणे आवश्यक राहिल. |
| ३ | अंतिम निर्णयासाठी लागणारा कालावधी:- | अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून २ महिने |
| ४ | अ) माहिती / अर्जाचा नमुना मिळण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| | ब) अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| ५ | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम:- | १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ व ६६ नुसार. २) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७२(अ),(ब),(क) नुसार. |
| ६ | शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रक, ठराव इ | १) शासन निर्णय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नवि-१४ दि.१४ जुलै १९९३ २) शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नवि-२७ दि. ८ डिसेंबर २००० ३) शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नवि-२० दि.३० डिसेंबर, २००६ ४) महानगरपालिका ठराव क्र. ४९६६ दिनांक २/९/२००३ |

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ७ | निर्णय घेणारे अधिकारी | | | |
| अ. लाभार्थी पात्र / अपात्र ठरविणे | | | | |
| स्तर | पदनाम | | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी | |
| पहिला स्तर | समुहसंघटक | | ५ दिवस | |
| दुसरा स्तर | समाजसेवक | | ४ दिवस | |
| तिसरा स्तर | सहाय्यक समाज विकास अधिकारी | | ४ दिवस | |
| अंतिम लाभार्थी यादी निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | समाज विकास अधिकारी | | २ दिवस | |
| ब.) सक्षम समितीच्या मान्यतेसाठी विषयपत्र सादर करणे / आदेश निर्गत करणे | | | | |
| स्तर | खर्च मर्यादा र.र. १० लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाखाचे वर | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | लिपिक | लिपिक | लिपिक | एकूण कालावधी ४५ दिवस |
| दुसरा स्तर | उपलेखापाल | उपलेखापाल | उपलेखापाल | |
| तिसरा स्तर | कार्यालय अधिक्षक | सहा. आयुक्त | सहा. आयुक्त | |
| विषयपत्र / आदेश निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | सहा. आयुक्त | अति. आयुक्त | आयुक्त | |

| | | |
|----|---|--|
| ८ | आवश्यक फी:- | शुल्क प्रति अर्ज र.र. २०/- |
| ९ | फी भरण्याची पध्दत:- | रोख |
| १० | अंतिम निर्णय विहित कालावधीमध्ये न घेतला गेल्यास ज्यांना जबाबदार धरायचे त्यांचे नाव व पदनाम | १) अर्ज तपासणी - समाजविकास अधिकारी जबाबदार राहतील. २) प्रशासकिय कामकाज - कार्यालय अधिक्षक जबाबदार राहतील. |
| ११ | सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार अर्ज करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५ | सहा. आयुक्त, नागरवस्ती विकास योजना विभाग तळ मजला, मुख्य इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११०१८ e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in |



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - १८
नागरवस्ती विकास योजना विभाग - महिला व बालकल्याण योजना



| अ.क्र. | विषय | योजनेची माहिती |
|--------|---|--|
| १ | योजनेचे नाव | इयत्ता १० वी मधील मुलींना शैक्षणिक साहित्य घेणेकामी अर्थसहाय्य. |
| २ | आवश्यक कागदपत्रे | १. अर्जदाराने अर्जासोबत आधारकार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक.. २. अर्जदाराने अर्जासोबत मतदार ओळखपत्र / मतदार यादीची प्रत या दोन्हीपैकी एक पुरावा जोडावा. (पालकांचे). ३. लाभार्थीच्या कुटुंबाचे मागील वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु. २,००,०००/- पर्यंत असलेबाबतचा तहसीलदार यांचेकडील उत्पन्नाचा दाखला, अथवा रेशनकार्ड ची प्रत. (रेशनकार्डवर वार्षिक उत्पन्न र. रु. २,००,०००/- पर्यंत नमूद असणे आवश्यक आहे.) ४. इयत्ता नववीचे गुणपत्रक. (किमान ६० % गुण आवश्यक) |
| ३ | अंतिम निर्णयासाठी लागणारा कालावधी:- | अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून २ महिने |
| ४ | अ) माहिती / अर्जाचा नमुना मिळण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| | ब) अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| ५ | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम:- | १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ व ६६ नुसार. २) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७२(अ),(ब),(क) नुसार. |
| ६ | शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रक, ठराव इ. | १) शासन निर्णय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नवि-१४ दि.१४ जुलै १९९३ २) शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नवि-२७ दि. ८ डिसेंबर २००० ३) शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नवि-२० दि.३० डिसेंबर, २००६ ४) महानगरपालिका ठराव क्र. ४९६६ दिनांक २/९/२००३ |

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ७ | निर्णय घेणारे अधिकारी | | | |
| अ. लाभार्थी पात्र / अपात्र ठरविणे | | | | |
| स्तर | पदनाम | | | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | समुहसंघटक | | | ५ दिवस |
| दुसरा स्तर | समाजसेवक | | | ४ दिवस |
| तिसरा स्तर | सहाय्यक समाज विकास अधिकारी | | | ४ दिवस |
| अंतिम लाभार्थी यादी निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | समाज विकास अधिकारी | | | २ दिवस |
| ब.) सक्षम समितीच्या मान्यतेसाठी विषयपत्र सादर करणे / आदेश निर्गत करणे | | | | |
| स्तर | खर्च मर्यादा र.र. १० लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाखाचे वर | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | लिपिक | लिपिक | लिपिक | एकूण कालावधी ४५ दिवस |
| दुसरा स्तर | उपलेखापाल | उपलेखापाल | उपलेखापाल | |
| तिसरा स्तर | कार्यालय अधिक्षक | सहा. आयुक्त | सहा. आयुक्त | |
| विषयपत्र / आदेश निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | सहा. आयुक्त | अति. आयुक्त | आयुक्त | |

| | | |
|----|---|--|
| ८ | आवश्यक फी:- | शुल्क प्रति अर्ज र.र. २०/- |
| ९ | फी भरण्याची पध्दत:- | रोख |
| १० | अंतिम निर्णय विहित कालावधीमध्ये न घेतला गेल्यास ज्यांना जबाबदार धरायचे त्यांचे नाव व पदनाम | १) अर्ज तपासणी - समाजविकास अधिकारी जबाबदार राहतील. २) प्रशासकिय कामकाज - कार्यालय अधिक्षक जबाबदार राहतील. |
| ११ | सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार अर्ज करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५ | सहा. आयुक्त, नागरवस्ती विकास योजना विभाग तळ मजला, मुख्य इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११०१८ e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in |



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - १८
नागरवस्ती विकास योजना विभाग - महिला व बालकल्याण योजना



| अ.क्र. | विषय | योजनेची माहिती |
|--------|---|---|
| १ | योजनेचे नाव | मा. रामभाऊ म्हाळगी - मुलींना तांत्रिक प्रशिक्षण किंवा अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमासाठी अर्थसहाय्य (प्रथमवर्षासाठी) |
| २ | आवश्यक कागदपत्रे | १. अर्जदाराने अर्जासोबत आधारकार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक. २. अर्जदाराने अर्जासोबत मतदार ओळखपत्र / मतदार यादीची प्रत या दोन्हीपैकी एक पुरावा जोडावा. (पालकांचे). ३. .इ. १०वी / १२वी उत्तीर्ण असल्याचे गुणपत्रक ४. शासकीय /शासनमान्य संस्थेचे तांत्रिक प्रशिक्षण किंवा अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश प्रमाणपत्राची प्रत. ५. लाभार्थीच्या कुटुंबाचे मागील वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न र. रु. २,००,०००/- पर्यंत असल्याबाबतचा तहसीलदार यांचेकडील उत्पन्नाचा दाखला अथवा र. रु. २,००,०००/- पर्यंत उत्पन्न असलेले रेशनकार्डची प्रत. |
| ३ | अंतिम निर्णयासाठी लागणारा कालावधी:- | अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून २ महिने |
| ४ | अ) माहिती / अर्जाचा नमुना मिळण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| | ब) अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| ५ | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम:- | १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ व ६६ नुसार. २) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७२(अ),(ब),(क) नुसार. |
| ६ | शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रक, ठराव इ | १) शासन निर्णय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नवि-१४ दि. १४ जुलै १९९३ २) शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नवि-२७ दि. ८ डिसेंबर २००० ३) शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नवि-२० दि. ३० डिसेंबर, २००६ ४) महानगरपालिका ठराव क्र. ४९६६ दिनांक २/९/२००३ |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ७ | निर्णय घेणारे अधिकारी | | | |
| अ. लाभार्थी पात्र / अपात्र ठरविणे | | | | |
| स्तर | पदनाम | | | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | समुहसंघटक | | | ५ दिवस |
| दुसरा स्तर | समाजसेवक | | | ४ दिवस |
| तिसरा स्तर | सहाय्यक समाज विकास अधिकारी | | | ४ दिवस |
| अंतिम लाभार्थी यादी निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | समाज विकास अधिकारी | | | २ दिवस |
| ब.) सक्षम समितीच्या मान्यतेसाठी विषयपत्र सादर करणे / आदेश निर्गत करणे | | | | |
| स्तर | खर्च मर्यादा र.रु. १० लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.रु. २५ लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.रु. २५ लाखाचे वर | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | लिपिक | लिपिक | लिपिक | एकूण कालावधी ४५ दिवस |
| दुसरा स्तर | उपलेखापाल | उपलेखापाल | उपलेखापाल | |
| तिसरा स्तर | कार्यालय अधिक्षक | सहा. आयुक्त | सहा. आयुक्त | |
| विषयपत्र / आदेश निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | सहा. आयुक्त | अति. आयुक्त | आयुक्त | |

| | | |
|----|---|--|
| ८ | आवश्यक फी:- | शुल्क प्रति अर्ज र.रु. २०/- |
| ९ | फी भरण्याची पध्दत:- | रोख |
| १० | अंतिम निर्णय विहित कालावधीमध्ये न घेतला गेल्यास ज्यांना जबाबदार धरायचे त्यांचे नाव व पदनाम | १) अर्ज तपासणी - समाजविकास अधिकारी जबाबदार राहतील. २) प्रशासकिय कामकाज - कार्यालय अधिक्षक जबाबदार राहतील. |
| ११ | सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार अर्ज करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५ | सहा. आयुक्त, नागरवस्ती विकास योजना विभाग तळ मजला, मुख्य इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११०१८ e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in |



| अ.क्र. | विषय | योजनेची माहिती |
|--------|---|---|
| १ | योजनेचे नाव | लोकनायक गोपीनाथ मुंडे - इयत्ता १२ वी नंतरचे (प्रथम वर्ष) वैद्यकीय अभ्यासक्रम (M.B.B.S., B.A.M.S., B.H.M.S., B.D.S., B.U.M.S.) M.B.A. आणि अभियांत्रिकी पदवी परीक्षा यासारखे उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अर्थसहाय्य |
| २ | आवश्यक कागदपत्रे | १. अर्जदाराने अर्जासोबत आधारकार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक.. २. अर्जदाराने अर्जासोबत मतदार ओळखपत्र / मतदार यादीची प्रत या दोन्हीपैकी एक पुरावा जोडावा. (पालकांचे). ३. लाभार्थीच्या कुटुंबाचे मागील वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु. 2,00,000 /- पर्यंत असलेबाबतचा तहसीलदार यांचेकडील उत्पन्नाचा दाखला, अथवा रेशनकार्ड ची प्रत. (रेशनकार्डवर वार्षिक उत्पन्न र. रु. 2,00,000/- पर्यंत नमुद असणे आवश्यक आहे.) ४. महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्याबाबत फी भरलेली पावती, बोनाफाईड प्रमाणपत्र इ. ५. शासनाने विहित केलेल्या पद्धतीने गुणवत्तेनुसार फ्रीसीट/ मेरीटसीट प्रवेशपत्र. ६. मागील वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे गुणपत्रकाची प्रत. |
| ३ | अंतिम निर्णयासाठी लागणारा कालावधी:- | अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून २ महिने |
| ४ | अ) माहिती / अर्जाचा नमुना मिळण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| | ब) अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| ५ | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम:- | १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ व ६६ नुसार. २) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७२(अ),(ब),(क) नुसार. |
| ६ | शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रक, ठराव इ | १) शासन निर्णय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नवि-१४ दि.१४ जुलै १९९३ २) शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नवि-२७ दि. ८ डिसेंबर २००० ३) शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नवि-२० दि.३० डिसेंबर, २००६ ४) महानगरपालिका ठराव क्र. ४९६६ दिनांक २/९/२००३ |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ७ | निर्णय घेणारे अधिकारी | | | |
| अ. लाभार्थी पात्र / अपात्र ठरविणे | | | | |
| स्तर | पदनाम | | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी | |
| पहिला स्तर | समुहसंघटक | | ५ दिवस | |
| दुसरा स्तर | समाजसेवक | | ४ दिवस | |
| तिसरा स्तर | सहाय्यक समाज विकास अधिकारी | | ४ दिवस | |
| अंतिम लाभार्थी यादी निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | समाज विकास अधिकारी | | २ दिवस | |
| ब.) सक्षम समितीच्या मान्यतेसाठी विषयपत्र सादर करणे / आदेश निर्गत करणे | | | | |
| स्तर | खर्च मर्यादा र.रु. १० लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.रु. २५ लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.रु. २५ लाखाचे वर | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | लिपिक | लिपिक | लिपिक | एकूण कालावधी ४५ दिवस |
| दुसरा स्तर | उपलेखापाल | उपलेखापाल | उपलेखापाल | |
| तिसरा स्तर | कार्यालय अधिक्षक | सहा. आयुक्त | सहा. आयुक्त | |
| विषयपत्र / आदेश निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | सहा. आयुक्त | अति. आयुक्त | आयुक्त | |

| | | |
|----|---|--|
| ८ | आवश्यक फी:- | शुल्क प्रति अर्ज र.रु. २०/- |
| ९ | फी भरण्याची पध्दत:- | रोख |
| १० | अंतिम निर्णय विहित कालावधीमध्ये न घेतला गेल्यास ज्यांना जबाबदार धरायचे त्यांचे नाव व पदनाम | १) अर्ज तपासणी - समाजविकास अधिकारी जबाबदार राहतील. २) प्रशासकिय कामकाज - कार्यालय अधिक्षक जबाबदार राहतील. |
| ११ | सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार अर्ज करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५ | सहा. आयुक्त, नागरवस्ती विकास योजना विभाग तळ मजला, मुख्य इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११०१८ e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in |



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - १८
नागरवस्ती विकास योजना विभाग - महिला व बालकल्याण योजना



| अ.क्र. | विषय | योजनेची माहिती |
|--------|---|---|
| १ | योजनेचे नाव | स्व. प्रमोद महाजन - परदेशातील उच्चशिक्षण / अभ्यासक्रमासाठी निवड झालेल्या युवतीस अर्थसहाय्य |
| २ | आवश्यक कागदपत्रे | १. अर्जदाराने अर्जासोबत आधारकार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक.. २. अर्जदाराने अर्जासोबत मतदार ओळखपत्र / मतदार यादीची प्रत या दोन्हीपैकी एक पुरावा जोडावा. (स्वतःचे/ पालकांचे). ३. परदेशातील उच्च शिक्षणाकरिता निवड झालेबाबतची कागदपत्रे तसेच विद्यार्थिनीचा पासपोर्ट व विद्यार्थिनीचा व्हिसा इ. ची प्रत) ४. प्रवेश घेतल्याचा पुरावा जसेकी बोनाफाईड / कॉलेजचे आयडी कार्ड, प्रवेशपत्र इ. |
| ३ | अंतिम निर्णयासाठी लागणारा कालावधी:- | अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून २ महिने |
| ४ | अ) माहिती / अर्जाचा नमुना मिळण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| | ब) अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| ५ | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम:- | १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ व ६६ नुसार. २) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७२(अ),(ब),(क) नुसार. |
| ६ | शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रक, ठराव इ | १) शासन निर्णय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नवि-१४ दि. १४ जुलै १९९३ २) शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नवि-२७ दि. ८ डिसेंबर २००० ३) शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नवि-२० दि. ३० डिसेंबर, २००६ ४) महानगरपालिका ठराव क्र. ४९६६ दिनांक २/९/२००३ |

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ७ | निर्णय घेणारे अधिकारी | | | |
| अ. लाभार्थी पात्र / अपात्र ठरविणे | | | | |
| स्तर | पदनाम | | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी | |
| पहिला स्तर | समुहसंघटक | | ५ दिवस | |
| दुसरा स्तर | समाजसेवक | | ४ दिवस | |
| तिसरा स्तर | सहाय्यक समाज विकास अधिकारी | | ४ दिवस | |
| अंतिम लाभार्थी यादी निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | समाज विकास अधिकारी | | २ दिवस | |
| ब.) सक्षम समितीच्या मान्यतेसाठी विषयपत्र सादर करणे / आदेश निर्गत करणे | | | | |
| स्तर | खर्च मर्यादा र.र. १० लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाखाचे वर | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | लिपिक | लिपिक | लिपिक | एकूण कालावधी ४५ दिवस |
| दुसरा स्तर | उपलेखापाल | उपलेखापाल | उपलेखापाल | |
| तिसरा स्तर | कार्यालय अधिक्षक | सहा. आयुक्त | सहा. आयुक्त | |
| विषयपत्र / आदेश निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | सहा. आयुक्त | अति. आयुक्त | आयुक्त | |

| | | |
|----|---|--|
| ८ | आवश्यक फी:- | शुल्क प्रति अर्ज र.र. २०/- |
| ९ | फी भरण्याची पध्दत:- | रोख |
| १० | अंतिम निर्णय विहित कालावधीमध्ये न घेतला गेल्यास ज्यांना जबाबदार धरायचे त्यांचे नाव व पदनाम | १) अर्ज तपासणी - समाजविकास अधिकारी जबाबदार राहतील. २) प्रशासकिय कामकाज - कार्यालय अधिक्षक जबाबदार राहतील. |
| ११ | सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार अर्ज करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५ | सहा. आयुक्त, नागरवस्ती विकास योजना विभाग तळ मजला, मुख्य इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११०१८ e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in |



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - १८
नागरवस्ती विकास योजना विभाग - महिला व बालकल्याण योजना



| अ.क्र. | विषय | योजनेची माहिती |
|--------|---|---|
| १ | योजनेचे नाव | मा. अटलबिहारी वाजपेयी - विधवा / घटस्फोटीत महिलांना किरकोळ स्वरूपाचा घरगुती व्यवसाय करण्यासाठी अर्थसहाय्य. |
| २ | आवश्यक कागदपत्रे | १. अर्जदाराने अर्जासोबत आधारकार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक.. २. अर्जदाराने अर्जासोबत मतदार ओळखपत्र / मतदार यादीची प्रत या दोन्हीपैकी एक पुरावा जोडावा. ३. घटस्फोटीत स्त्रियांचे बाबतीत न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत. ४. विधवा स्त्रियांचे बाबतीत पतीच्या मृत्यू दाखल्याची प्रत. ५. लाभार्थीच्या कुटुंबाचे मागील वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न र. रु. २,००,०००/- पर्यंत असल्याबाबतचा तहसीलदार यांचेकडील उत्पन्नाचा दाखला अथवा र. रु. २,००,०००/- पर्यंत उत्पन्न असलेले रेशनकार्डची प्रत. |
| ३ | अंतिम निर्णयासाठी लागणारा कालावधी:- | अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून २ महिने |
| ४ | अ) माहिती / अर्जाचा नमुना मिळण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| | ब) अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| ५ | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम:- | १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ व ६६ नुसार. २) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७२(अ),(ब),(क) नुसार. |
| ६ | शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रक, ठराव इ | १) शासन निर्णय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नवि-१४ दि. १४ जुलै १९९३ २) शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नवि-२७ दि. ८ डिसेंबर २००० ३) शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नवि-२० दि. ३० डिसेंबर, २००६ ४) महानगरपालिका ठराव क्र. ४९६६ दिनांक २/९/२००३ |

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ७ | निर्णय घेणारे अधिकारी | | | |
| अ. लाभार्थी पात्र / अपात्र ठरविणे | | | | |
| स्तर | पदनाम | | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी | |
| पहिला स्तर | समुहसंघटक | | ५ दिवस | |
| दुसरा स्तर | समाजसेवक | | ४ दिवस | |
| तिसरा स्तर | सहाय्यक समाज विकास अधिकारी | | ४ दिवस | |
| अंतिम लाभार्थी यादी निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | समाज विकास अधिकारी | | २ दिवस | |
| ब.) सक्षम समितीच्या मान्यतेसाठी विषयपत्र सादर करणे / आदेश निर्गत करणे | | | | |
| स्तर | खर्च मर्यादा र.र. १० लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाखाचे वर | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | लिपिक | लिपिक | लिपिक | एकूण कालावधी ४५ दिवस |
| दुसरा स्तर | उपलेखापाल | उपलेखापाल | उपलेखापाल | |
| तिसरा स्तर | कार्यालय अधिक्षक | सहा. आयुक्त | सहा. आयुक्त | |
| विषयपत्र / आदेश निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | सहा. आयुक्त | अति. आयुक्त | आयुक्त | |

| | | |
|----|---|--|
| ८ | आवश्यक फी:- | शुल्क प्रति अर्ज र.र. २०/- |
| ९ | फी भरण्याची पध्दत:- | रोख |
| १० | अंतिम निर्णय विहित कालावधीमध्ये न घेतला गेल्यास ज्यांना जबाबदार धरायचे त्यांचे नाव व पदनाम | १) अर्ज तपासणी - समाजविकास अधिकारी जबाबदार राहतील. २) प्रशासकिय कामकाज - कार्यालय अधिक्षक जबाबदार राहतील. |
| ११ | सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार अर्ज करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५ | सहा. आयुक्त, नागरवस्ती विकास योजना विभाग तळ मजला, मुख्य इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११०१८ e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in |



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - १८
नागरवस्ती विकास योजना विभाग - महिला व बालकल्याण योजना



| अ.क्र. | विषय | योजनेची माहिती |
|--------|---|--|
| १ | योजनेचे नाव | बेटी बचाव बेटी पढाओ - पहिल्या मुलीवर किंवा पहिली मुलगी असताना दुस-या मुलीवर कुटूंबनियोजन शस्त्रक्रिया करणा-या महिलेस अर्थसहाय्य |
| २ | आवश्यक कागदपत्रे | १. आई व मुलीचे आधारकार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक.. २. अर्जदाराने अर्जासोबत मतदार ओळखपत्र / मतदार यादीची प्रत या दोन्हीपैकी एक पुरावा जोडावा. ३. पहिल्या मुलीवर अथवा पहिली मुलगी असताना दुस-या मुलीवर कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र. ४. मुलीचा / मुलीचे जन्मदाखले. (दि. १ जानेवारी २००७ किंवा त्यानंतर जन्म झालेल्या मुलीचा जन्म दाखला.) प्रत. |
| ३ | अंतिम निर्णयासाठी लागणारा कालावधी:- | अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून २ महिने |
| ४ | अ) माहिती / अर्जाचा नमुना मिळण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| | ब) अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| ५ | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम:- | १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ व ६६ नुसार. २) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७२(अ),(ब),(क) नुसार. |
| ६ | शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रक, ठराव इ | १) शासन निर्णय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नवि-१४ दि. १४ जुलै १९९३ २) शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नवि-२७ दि. ८ डिसेंबर २००० ३) शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नवि-२० दि. ३० डिसेंबर, २००६ ४) महानगरपालिका ठराव क्र. ४९६६ दिनांक २/९/२००३ |

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ७ | निर्णय घेणारे अधिकारी | | | |
| अ. लाभार्थी पात्र / अपात्र ठरविणे | | | | |
| स्तर | पदनाम | | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी | |
| पहिला स्तर | समुहसंघटक | | ५ दिवस | |
| दुसरा स्तर | समाजसेवक | | ४ दिवस | |
| तिसरा स्तर | सहाय्यक समाज विकास अधिकारी | | ४ दिवस | |
| अंतिम लाभार्थी यादी निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | समाज विकास अधिकारी | | २ दिवस | |
| ब.) सक्षम समितीच्या मान्यतेसाठी विषयपत्र सादर करणे / आदेश निर्गत करणे | | | | |
| स्तर | खर्च मर्यादा र.र. १० लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाखाचे वर | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | लिपिक | लिपिक | लिपिक | एकूण कालावधी ४५ दिवस |
| दुसरा स्तर | उपलेखापाल | उपलेखापाल | उपलेखापाल | |
| तिसरा स्तर | कार्यालय अधिक्षक | सहा. आयुक्त | सहा. आयुक्त | |
| विषयपत्र / आदेश निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | सहा. आयुक्त | अति. आयुक्त | आयुक्त | |

| | | |
|----|---|--|
| ८ | आवश्यक फी:- | शुल्क प्रति अर्ज र.र. २०/- |
| ९ | फी भरण्याची पध्दत:- | रोख |
| १० | अंतिम निर्णय विहित कालावधीमध्ये न घेतला गेल्यास ज्यांना जबाबदार धरायचे त्यांचे नाव व पदनाम | १) अर्ज तपासणी - समाजविकास अधिकारी जबाबदार राहतील. २) प्रशासकिय कामकाज - कार्यालय अधिक्षक जबाबदार राहतील. |
| ११ | सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार अर्ज करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५ | सहा. आयुक्त, नागरवस्ती विकास योजना विभाग तळ मजला, मुख्य इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११०१८ e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in |



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - १८
नागरवस्ती विकास योजना विभाग - महिला व बालकल्याण योजना



| अ.क्र. | विषय | योजनेची माहिती |
|--------|---|---|
| १ | योजनेचे नाव | मुलगी दत्तक घेणा-या दांपत्यास अर्थसहाय्य |
| २ | आवश्यक कागदपत्रे | १. आई व मुलीचे आधारकार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक.. २. अर्जदाराने अर्जसोबत मतदार ओळखपत्र / मतदार यादीची प्रत या दोन्हीपैकी एक पुरावा जोडावा. ३. दत्तक विधानाबाबत न्यायालयीन आदेशाची प्रत. ४. मुलीच्या जन्मदाखल्याची प्रत. |
| ३ | अंतिम निर्णयासाठी लागणारा कालावधी:- | अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून २ महिने |
| ४ | अ) माहिती / अर्जाचा नमुना मिळण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| | ब) अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| ५ | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम:- | १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ व ६६ नुसार. २) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७२(अ),(ब),(क) नुसार. |
| ६ | शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रक, ठराव इ | १) शासन निर्णय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नवि-१४ दि.१४ जुलै १९९३ २) शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नवि-२७ दि. ८ डिसेंबर २००० ३) शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नवि-२० दि.३० डिसेंबर, २००६ ४) महानगरपालिका ठराव क्र. ४९६६ दिनांक २/९/२००३ |

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ७ | निर्णय घेणारे अधिकारी | | | |
| अ. लाभार्थी पात्र / अपात्र ठरविणे | | | | |
| स्तर | पदनाम | | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी | |
| पहिला स्तर | समुहसंघटक | | ५ दिवस | |
| दुसरा स्तर | समाजसेवक | | ४ दिवस | |
| तिसरा स्तर | सहाय्यक समाज विकास अधिकारी | | ४ दिवस | |
| अंतिम लाभार्थी यादी निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | समाज विकास अधिकारी | | २ दिवस | |
| ब.) सक्षम समितीच्या मान्यतेसाठी विषयपत्र सादर करणे / आदेश निर्गत करणे | | | | |
| स्तर | खर्च मर्यादा र.र. १० लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाखाचे वर | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | लिपिक | लिपिक | लिपिक | एकूण कालावधी ४५ दिवस |
| दुसरा स्तर | उपलेखापाल | उपलेखापाल | उपलेखापाल | |
| तिसरा स्तर | कार्यालय अधिक्षक | सहा. आयुक्त | सहा. आयुक्त | |
| विषयपत्र / आदेश निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | सहा. आयुक्त | अति. आयुक्त | आयुक्त | |

| | | |
|----|---|--|
| ८ | आवश्यक फी:- | शुल्क प्रति अर्ज र.र. २०/- |
| ९ | फी भरण्याची पध्दत:- | रोख |
| १० | अंतिम निर्णय विहित कालावधीमध्ये न घेतला गेल्यास ज्यांना जबाबदार धरायचे त्यांचे नाव व पदनाम | १) अर्ज तपासणी - समाजविकास अधिकारी जबाबदार राहतील. २) प्रशासकिय कामकाज - कार्यालय अधिक्षक जबाबदार राहतील. |
| ११ | सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार अर्ज करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५ | सहा. आयुक्त, नागरवस्ती विकास योजना विभाग तळ मजला, मुख्य इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११०१८ e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in |



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - १८
नागरवस्ती विकास योजना विभाग - महिला व बालकल्याण योजना



| अ.क्र. | विषय | योजनेची माहिती |
|--------|---|---|
| १ | योजनेचे नाव | मदर तेरेसा - नोंदणीकृत महिला संस्थांना / महापालिकेकडील नोंदणीकृत अनुदान प्राप्त महिला बचतगटांना पाळणाघर सुरु करण्याकरिता अर्थसहाय्य |
| २ | आवश्यक कागदपत्रे | १) संस्थेच्या बाबतीत शासनाकडील नोंदणी प्रमाणपत्र व महिला बचतगटाचे बाबतीत महापालिकेकडील नोंदणी प्रमाणपत्र नोंदणी क्रमांक व दिनांकाची प्रत. २) पाळणाघर सुरु करणेबाबत संस्थेचा ठराव प्रत. ३) ० ते ५ या वयोगटातील बालकांची यादी (किमान १५) ४) जागेच्या मालकीबाबतची कागदपत्रे ५) प्रारंभिक खर्चाबाबतचे GST नंबर असलेले कोटेशन ६) आधारकार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक. ७) बचतगटाच्या बँक पासबुकाची प्रत |
| ३ | अंतिम निर्णयासाठी लागणारा कालावधी:- | अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून २ महिने |
| ४ | अ) माहिती / अर्जाचा नमुना मिळण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| | ब) अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| ५ | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम:- | १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ व ६६ नुसार. २) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७२(अ),(ब),(क) नुसार. |
| ६ | शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रक, ठराव इ | १) शासन निर्णय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नवि-१४ दि.१४ जुलै १९९३ २) शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नवि-२७ दि. ८ डिसेंबर २००० ३) शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नवि-२० दि.३० डिसेंबर, २००६ ४) महानगरपालिका ठराव क्र. ४९६६ दिनांक २/९/२००३ |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ७ | निर्णय घेणारे अधिकारी | | | |
| अ. लाभार्थी पात्र / अपात्र ठरविणे | | | | |
| स्तर | पदनाम | | | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | समुहसंघटक | | | ५ दिवस |
| दुसरा स्तर | समाजसेवक | | | ४ दिवस |
| तिसरा स्तर | सहाय्यक समाज विकास अधिकारी | | | ४ दिवस |
| अंतिम लाभार्थी यादी निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | समाज विकास अधिकारी | | | २ दिवस |
| ब.) सक्षम समितीच्या मान्यतेसाठी विषयपत्र सादर करणे / आदेश निर्गत करणे | | | | |
| स्तर | खर्च मर्यादा र.रु. १० लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.रु. २५ लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.रु. २५ लाखाचे वर | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | लिपिक | लिपिक | लिपिक | एकूण कालावधी ४५ दिवस |
| दुसरा स्तर | उपलेखापाल | उपलेखापाल | उपलेखापाल | |
| तिसरा स्तर | कार्यालय अधिक्षक | सहा. आयुक्त | सहा. आयुक्त | |
| विषयपत्र / आदेश निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | सहा. आयुक्त | अति. आयुक्त | आयुक्त | |

| | | |
|----|---|--|
| ८ | आवश्यक फी:- | शुल्क प्रति अर्ज र.रु. २०/- |
| ९ | फी भरण्याची पध्दत:- | रोख |
| १० | अंतिम निर्णय विहित कालावधीमध्ये न घेतला गेल्यास ज्यांना जबाबदार धरायचे त्यांचे नाव व पदनाम | १) अर्ज तपासणी - समाजविकास अधिकारी जबाबदार राहतील. २) प्रशासकिय कामकाज - कार्यालय अधिक्षक जबाबदार राहतील. |
| ११ | सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार अर्ज करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५ | सहा. आयुक्त, नागरवस्ती विकास योजना विभाग तळ मजला, मुख्य इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११०१८ e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in |



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - १८
नागरवस्ती विकास योजना विभाग - महिला व बालकल्याण योजना



| अ.क्र. | विषय | योजनेची माहिती |
|--------|---|---|
| १ | योजनेचे नाव | सावित्रीबाई फुले पुरस्कार (सामाजिक संस्था) |
| २ | आवश्यक कागदपत्रे | १. स्वयंसेवी संस्थेच्या द सोसायटी Registration Act नुसार (सहकारी तत्वावर) नोंदणी प्रमाणपत्रांची प्रत. किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० प्रमाणपत्राची प्रत. २. लेखा परीक्षण अहवाल (मागिल दोन वर्षांचा) ३. वार्षिक अहवाल (मागिल पाच वर्षांचा) ४. कार्यकारिणीची यादी, ठराव. ५. संस्थेच्या कारभारामध्ये गैरवर्तन नसल्याबाबतचे पोलीस अधिका-यांचे प्रमाणपत्र. ६. उत्कृष्ट कार्याबाबतची प्रमाणपत्रे (असल्यास) ७. संस्थेच्या घटनेची प्रत ८. अर्ज करण्यास प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीचे नाव व पद समाविष्ट असावे व संस्थेचा पुरस्कार मागणी ठराव ९. महिला व बालकल्याण क्षेत्रातील संस्थेने केलेल्या सेवा व कार्य (किमान ५ वर्षे) याबाबतचा तपशील पुराव्यासह. १०. संस्थेचे अध्यक्ष / सचिव यांचे आधारकार्डची प्रत बंधनकारक. |
| ३ | अंतिम निर्णयासाठी लागणारा कालावधी:- | अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून २ महिने |
| ४ | अ) माहिती / अर्जाचा नमुना मिळण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| | ब) अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| ५ | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम:- | १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ व ६६ नुसार. २) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७२(अ),(ब),(क) नुसार. |
| ६ | शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रक, ठराव इ | १) शासन निर्णय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नवि-१४ दि. १४ जुलै १९९३ २) शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नवि-२७ दि. ८ डिसेंबर २००० ३) शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नवि-२० दि. ३० डिसेंबर, २००६ ४) महानगरपालिका ठराव क्र. ४९६६ दिनांक २/९/२००३ |

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ७ | निर्णय घेणारे अधिकारी | | | |
| अ. लाभार्थी पात्र / अपात्र ठरविणे | | | | |
| स्तर | पदनाम | | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी | |
| पहिला स्तर | समुहसंघटक | | ५ दिवस | |
| दुसरा स्तर | समाजसेवक | | ४ दिवस | |
| तिसरा स्तर | सहाय्यक समाज विकास अधिकारी | | ४ दिवस | |
| अंतिम लाभार्थी यादी निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | समाज विकास अधिकारी | | २ दिवस | |
| ब.) सक्षम समितीच्या मान्यतेसाठी विषयपत्र सादर करणे / आदेश निर्गत करणे | | | | |
| स्तर | खर्च मर्यादा र.र. १० लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाखाचे वर | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | लिपिक | लिपिक | लिपिक | एकूण कालावधी ४५ दिवस |
| दुसरा स्तर | उपलेखापाल | उपलेखापाल | उपलेखापाल | |
| तिसरा स्तर | कार्यालय अधिक्षक | सहा. आयुक्त | सहा. आयुक्त | |
| विषयपत्र / आदेश निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | सहा. आयुक्त | अति. आयुक्त | आयुक्त | |

| | | |
|----|---|--|
| ८ | आवश्यक फी:- | शुल्क प्रति अर्ज र.र. २०/- |
| ९ | फी भरण्याची पध्दत:- | रोख |
| १० | अंतिम निर्णय विहित कालावधीमध्ये न घेतला गेल्यास ज्यांना जबाबदार धरायचे त्यांचे नाव व पदनाम | १) अर्ज तपासणी - समाजविकास अधिकारी जबाबदार राहतील. २) प्रशासकिय कामकाज - कार्यालय अधिक्षक जबाबदार राहतील. |
| ११ | सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार अर्ज करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५ | सहा. आयुक्त, नागरवस्ती विकास योजना विभाग तळ मजला, मुख्य इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११०१८ e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in |



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - १८
नागरवस्ती विकास योजना विभाग - महिला व बालकल्याण योजना



| अ.क्र. | विषय | योजनेची माहिती |
|--------|---|--|
| १ | योजनेचे नाव | सावित्रीबाई फुले पुरस्कार (वैयक्तिक) |
| २ | आवश्यक कागदपत्रे | १. अर्जदाराने अर्जासोबत आधारकार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक. २. अर्जदाराने अर्जासोबत मतदार ओळखपत्र / मतदार यादीची प्रत या दोन्हीपैकी एक पुरावा जोडावा. ३. शाळा सोडल्याचा किंवा वयाचा दाखला. ४. वर्तणुकीबाबत पोलीस अधिका-याचे प्रमाणपत्र. ५. मागील ३ वर्षातील सामाजिक कामाचा (महिला व बालकल्याण क्षेत्रातील / कला व सांस्कृतिक क्षेत्रातील / उद्योग व्यवसाय क्षेत्रातील) अनुभवाचा तपशील. ६. उत्कृष्ट कार्याबाबतचे प्रमाणपत्र (असल्यास) ७. इतर माहिती. |
| ३ | अंतिम निर्णयासाठी लागणारा कालावधी:- | अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून २ महिने |
| ४ | अ) माहिती / अर्जाचा नमुना मिळण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| | ब) अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| ५ | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम:- | १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ व ६६ नुसार. २) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७२(अ),(ब),(क) नुसार. |
| ६ | शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रक, ठराव इ | १) शासन निर्णय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नवि-१४ दि. १४ जुलै १९९३ २) शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नवि-२७ दि. ८ डिसेंबर २००० ३) शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नवि-२० दि. ३० डिसेंबर, २००६ ४) महानगरपालिका ठराव क्र. ४९६६ दिनांक २/९/२००३ |

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ७ | निर्णय घेणारे अधिकारी | | | |
| अ. लाभार्थी पात्र / अपात्र ठरविणे | | | | |
| स्तर | पदनाम | | | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | समुहसंघटक | | | ५ दिवस |
| दुसरा स्तर | समाजसेवक | | | ४ दिवस |
| तिसरा स्तर | सहाय्यक समाज विकास अधिकारी | | | ४ दिवस |
| अंतिम लाभार्थी यादी निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | समाज विकास अधिकारी | | | २ दिवस |
| ब.) सक्षम समितीच्या मान्यतेसाठी विषयपत्र सादर करणे / आदेश निर्गत करणे | | | | |
| स्तर | खर्च मर्यादा र.र. १० लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाखाचे वर | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | लिपिक | लिपिक | लिपिक | एकूण कालावधी ४५ दिवस |
| दुसरा स्तर | उपलेखापाल | उपलेखापाल | उपलेखापाल | |
| तिसरा स्तर | कार्यालय अधिक्षक | सहा. आयुक्त | सहा. आयुक्त | |
| विषयपत्र / आदेश निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | सहा. आयुक्त | अति. आयुक्त | आयुक्त | |

| | | |
|----|---|--|
| ८ | आवश्यक फी:- | शुल्क प्रति अर्ज र.र. २०/- |
| ९ | फी भरण्याची पध्दत:- | रोख |
| १० | अंतिम निर्णय विहित कालावधीमध्ये न घेतला गेल्यास ज्यांना जबाबदार धरायचे त्यांचे नाव व पदनाम | १) अर्ज तपासणी - समाजविकास अधिकारी जबाबदार राहतील. २) प्रशासकिय कामकाज - कार्यालय अधिक्षक जबाबदार राहतील. |
| ११ | सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार अर्ज करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५ | सहा. आयुक्त, नागरवस्ती विकास योजना विभाग तळ मजला, मुख्य इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११०१८ e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in |



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - १८
नागरवस्ती विकास योजना विभाग - महिला व बालकल्याण योजना



| अ.क्र. | विषय | योजनेची माहिती |
|--------|---|---|
| १ | योजनेचे नाव | दीड वर्षे पूर्ण झालेल्या बचतगटास अर्थसहाय्य |
| २ | आवश्यक कागदपत्रे | १. अर्जदाराने अर्जासोबत सर्व सभासदांचे आधारकार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक. २. अर्जासोबत सर्व सभासदांचे मतदार ओळखपत्र / मतदार यादीची प्रत या दोन्हीपैकी एक पुरावा जोडावा. ३. बचतगट 1.5 वर्षे कार्यरत असलेबाबतच्या नोंदीचे बचतगट पासबुकाची प्रत. ४. बचतगटाचे हिशोबाचे विवरणपत्र / जमाखर्च नोंदी इत्यादी. ५. बचत गट सदस्यांचा तपशील पत्र (नाव, पत्ता, फोन नं. सही) ६. सर्व सभासदांचा ग्रुप फोटो ७. बचतगटातील सभासद दुबार असल्यास असे सभासद वगळून गट पुनर्गठित केल्याच्या ठरावाची प्रत. ८. गटाच्या नियमितपणे मासिक बैठका होत असल्याबाबतच्या पुराव्यार्थ मासिक बैठकीच्या सभावृत्तांतच्या प्रती आवश्यक. |
| ३ | अंतिम निर्णयासाठी लागणारा कालावधी:- | अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून २ महिने |
| ४ | अ) माहिती / अर्जाचा नमुना मिळण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| | ब) अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| ५ | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम:- | १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ व ६६ नुसार. २) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७२(अ),(ब),(क) नुसार. |
| ६ | शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रक, ठराव इ | १) शासन निर्णय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नवि-१४ दि.१४ जुलै १९९३ २) शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नवि-२७ दि. ८ डिसेंबर २००० ३) शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नवि-२० दि.३० डिसेंबर, २००६ ४) महानगरपालिका ठराव क्र. ४९६६ दिनांक २/९/२००३ |

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ७ | निर्णय घेणारे अधिकारी | | | |
| अ. लाभार्थी पात्र / अपात्र ठरविणे | | | | |
| स्तर | पदनाम | | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी | |
| पहिला स्तर | समुहसंघटक | | ५ दिवस | |
| दुसरा स्तर | समाजसेवक | | ४ दिवस | |
| तिसरा स्तर | सहाय्यक समाज विकास अधिकारी | | ४ दिवस | |
| अंतिम लाभार्थी यादी निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | समाज विकास अधिकारी | | २ दिवस | |
| ब.) सक्षम समितीच्या मान्यतेसाठी विषयपत्र सादर करणे / आदेश निर्गत करणे | | | | |
| स्तर | खर्च मर्यादा र.र. १० लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाखाचे वर | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | लिपिक | लिपिक | लिपिक | एकूण कालावधी ४५ दिवस |
| दुसरा स्तर | उपलेखापाल | उपलेखापाल | उपलेखापाल | |
| तिसरा स्तर | कार्यालय अधिक्षक | सहा. आयुक्त | सहा. आयुक्त | |
| विषयपत्र / आदेश निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | सहा. आयुक्त | अति. आयुक्त | आयुक्त | |

| | | |
|----|---|--|
| ८ | आवश्यक फी:- | शुल्क प्रति अर्ज र.र. २०/- |
| ९ | फी भरण्याची पध्दत:- | रोख |
| १० | अंतिम निर्णय विहित कालावधीमध्ये न घेतला गेल्यास ज्यांना जबाबदार धरायचे त्यांचे नाव व पदनाम | १) अर्ज तपासणी - समाजविकास अधिकारी जबाबदार राहतील. २) प्रशासकिय कामकाज - कार्यालय अधिक्षक जबाबदार राहतील. |
| ११ | सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार अर्ज करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५ | सहा. आयुक्त, नागरवस्ती विकास योजना विभाग तळ मजला, मुख्य इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११०१८ e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in |



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - १८
नागरवस्ती विकास योजना विभाग - महिला व बालकल्याण योजना



| अ.क्र. | विषय | योजनेची माहिती |
|--------|---|--|
| १ | योजनेचे नाव | दहा वर्षे पूर्ण झालेल्या महिला बचतगटास अर्थसहाय्य. |
| २ | आवश्यक कागदपत्रे | १. अर्जदाराने अर्जासोबत सर्व सभासदांचे आधारकार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक.. २. अर्जासोबत सर्व सभासदांचे मतदार ओळखपत्र / मतदार यादीची प्रत या दोन्हीपैकी एक पुरावा जोडावा. ३. बचतगट दहा वर्षांपासून कार्यरत असलेबाबतच्या नोंदीचे बचतगट पासबुकाची प्रत. ४. बचतगटाचे हिशोबाचे विवरणपत्र / जमाखर्च नोंदी इत्यादी. ५. बचत गट सदस्यांचा तपशील पत्र (नाव, पत्ता, फोन नं. सही) ६. सर्व सभासदांचा ग्रुप फोटो ७. बचतगटातील सभासद दुबार असल्यास असे सभासद वगळून गट पुनर्गठित केल्याच्या ठरावाची प्रत. ८. गटाच्या नियमितपणे मासिक बैठका होत असल्याबाबतच्या पुराव्यार्थ मासिक बैठकीच्या सभावृत्तांतची प्रती आवश्यक. |
| ३ | अंतिम निर्णयासाठी लागणारा कालावधी:- | अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून २ महिने |
| ४ | अ) माहिती / अर्जाचा नमुना मिळण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| | ब) अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| ५ | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम:- | १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ व ६६ नुसार. २) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७२(अ),(ब),(क) नुसार. |
| ६ | शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रक, ठराव इ | १) शासन निर्णय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नवि-१४ दि.१४ जुलै १९९३ २) शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नवि-२७ दि. ८ डिसेंबर २००० ३) शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नवि-२० दि.३० डिसेंबर, २००६ ४) महानगरपालिका ठराव क्र. ४९६६ दिनांक २/९/२००३ |

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ७ | निर्णय घेणारे अधिकारी | | | |
| अ. लाभार्थी पात्र / अपात्र ठरविणे | | | | |
| स्तर | पदनाम | | | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | समुहसंघटक | | | ५ दिवस |
| दुसरा स्तर | समाजसेवक | | | ४ दिवस |
| तिसरा स्तर | सहाय्यक समाज विकास अधिकारी | | | ४ दिवस |
| अंतिम लाभार्थी यादी निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | समाज विकास अधिकारी | | | २ दिवस |
| ब.) सक्षम समितीच्या मान्यतेसाठी विषयपत्र सादर करणे / आदेश निर्गत करणे | | | | |
| स्तर | खर्च मर्यादा र.र. १० लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाखाचे वर | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | लिपिक | लिपिक | लिपिक | एकूण कालावधी ४५ दिवस |
| दुसरा स्तर | उपलेखापाल | उपलेखापाल | उपलेखापाल | |
| तिसरा स्तर | कार्यालय अधिक्षक | सहा. आयुक्त | सहा. आयुक्त | |
| विषयपत्र / आदेश निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | सहा. आयुक्त | अति. आयुक्त | आयुक्त | |

| | | |
|----|---|--|
| ८ | आवश्यक फी:- | शुल्क प्रति अर्ज र.र. २०/- |
| ९ | फी भरण्याची पध्दत:- | रोख |
| १० | अंतिम निर्णय विहित कालावधीमध्ये न घेतला गेल्यास ज्यांना जबाबदार धरायचे त्यांचे नाव व पदनाम | १) अर्ज तपासणी - समाजविकास अधिकारी जबाबदार राहतील. २) प्रशासकिय कामकाज - कार्यालय अधिक्षक जबाबदार राहतील. |
| ११ | सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार अर्ज करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५ | सहा. आयुक्त, नागरवस्ती विकास योजना विभाग तळ मजला, मुख्य इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११०१८ e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in |



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - १८
नागरवस्ती विकास योजना विभाग - महिला व बालकल्याण योजना



| अ.क्र. | विषय | योजनेची माहिती |
|--------|---|---|
| १ | योजनेचे नाव | मा. अटलबिहारी वाजपेयी - शिवणयंत्र घेण्यासाठी अर्थसहाय्य. |
| २ | आवश्यक कागदपत्रे | १.शासकिय / शासनमान्य संस्थेचे शिवणवर्ग पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र उदा. महाराष्ट्र शासन / आय. टी. आय. / म.न.पा. / कामगार कल्याण मंडळ. २.अर्जदाराने अर्जासोबत आधारकार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक. ३.अर्जदाराने अर्जासोबत मतदार ओळखपत्र / मतदार यादीची प्रत या दोन्हीपैकी एक पुरावा जोडावा. (स्वतःचे/ पालकांचे). ४.अर्ज पात्र झाल्याचे या कार्यालयामार्फत कळविल्यानंतर शिवणयंत्र खरेदी केल्याची GST नंबर असलेली पक्की पावती सादर करणे आवश्यक राहिल ५.बँक पासबुकची प्रत |
| ३ | अंतिम निर्णयासाठी लागणारा कालावधी:- | अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून २ महिने |
| ४ | अ) माहिती / अर्जाचा नमुना मिळण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| | ब) अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| ५ | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम:- | १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ व ६६ नुसार. २) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७२(अ),(ब),(क) नुसार. |
| ६ | शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रक, ठराव इ | १) शासन निर्णय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नवि-१४ दि.१४ जुलै १९९३ २) शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नवि-२७ दि. ८ डिसेंबर २००० ३) शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नवि-२० दि.३० डिसेंबर, २००६ ४) महानगरपालिका ठराव क्र. ४९६६ दिनांक २/९/२००३ |

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ७ | निर्णय घेणारे अधिकारी | | | |
| अ. लाभार्थी पात्र / अपात्र ठरविणे | | | | |
| स्तर | पदनाम | | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी | |
| पहिला स्तर | समुहसंघटक | | ५ दिवस | |
| दुसरा स्तर | समाजसेवक | | ४ दिवस | |
| तिसरा स्तर | सहाय्यक समाज विकास अधिकारी | | ४ दिवस | |
| अंतिम लाभार्थी यादी निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | समाज विकास अधिकारी | | २ दिवस | |
| ब.) सक्षम समितीच्या मान्यतेसाठी विषयपत्र सादर करणे / आदेश निर्गत करणे | | | | |
| स्तर | खर्च मर्यादा र.र. १० लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाखाचे वर | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | लिपिक | लिपिक | लिपिक | एकूण कालावधी ४५ दिवस |
| दुसरा स्तर | उपलेखापाल | उपलेखापाल | उपलेखापाल | |
| तिसरा स्तर | कार्यालय अधिक्षक | सहा. आयुक्त | सहा. आयुक्त | |
| विषयपत्र / आदेश निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | सहा. आयुक्त | अति. आयुक्त | आयुक्त | |

| | | |
|----|---|--|
| ८ | आवश्यक फी:- | शुल्क प्रति अर्ज र.र. २०/- |
| ९ | फी भरण्याची पध्दत:- | रोख |
| १० | अंतिम निर्णय विहित कालावधीमध्ये न घेतला गेल्यास ज्यांना जबाबदार धरायचे त्यांचे नाव व पदनाम | १) अर्ज तपासणी - समाजविकास अधिकारी जबाबदार राहतील. २) प्रशासकिय कामकाज - कार्यालय अधिक्षक जबाबदार राहतील. |
| ११ | सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार अर्ज करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५ | सहा. आयुक्त, नागरवस्ती विकास योजना विभाग तळ मजला, मुख्य इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११०१८ e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in |



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - १८
नागरवस्ती विकास योजना विभाग - महिला व बालकल्याण योजना



| अ.क्र. | विषय | योजनेची माहिती |
|--------|---|--|
| १ | योजनेचे नाव | महिलांना चार चाकी हलके वाहन (L.M.V.) चालविण्याचे (मोटार ड्रायव्हिंग) प्रशिक्षण व LMV(TR) पक्की अनुज्ञप्ती (ड्रायव्हिंग लायसन्स) देणे |
| २ | आवश्यक कागदपत्रे | १.अर्जदाराने अर्जासोबत आधारकार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक. २.अर्जदाराने अर्जासोबत मतदार ओळखपत्र / मतदार यादीची प्रत या दोन्हीपैकी एक पुरावा जोडावा. ३. वय वर्ष २२ ते ४५ असणे आवश्यक, पुराव्यार्थ जन्मदाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला, एस.एस.सी. प्रमाणपत्र, आधारकार्ड इत्यादी तत्सम् कागदपत्रे यापैकी एक कागदपत्र जोडणे आवश्यक. ४. किमान ८ वी पास असणे आवश्यक. पुराव्यार्थ शैक्षणिक अर्हता संबधितचा दाखला/प्रमाणपत्र/इ. तत्सम् कागदपत्रे यापैकी एक कागदपत्र जोडणे आवश्यक. |
| ३ | अंतिम निर्णयासाठी लागणारा कालावधी:- | अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून २ महिने |
| ४ | अ) माहिती / अर्जाचा नमुना मिळण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| | ब) अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| ५ | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम:- | १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ व ६६ नुसार. २) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७२(अ),(ब),(क) नुसार. |
| ६ | शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रक, ठराव इ | १) शासन निर्णय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नवि-१४ दि.१४ जुलै १९९३ २) शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नवि-२७ दि. ८ डिसेंबर २००० ३) शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नवि-२० दि.३० डिसेंबर, २००६ ४) महानगरपालिका ठराव क्र. ४९६६ दिनांक २/९/२००३ |

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ७ | निर्णय घेणारे अधिकारी | | | |
| अ. लाभार्थी पात्र / अपात्र ठरविणे | | | | |
| स्तर | पदनाम | | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी | |
| पहिला स्तर | समुहसंघटक | | ५ दिवस | |
| दुसरा स्तर | समाजसेवक | | ४ दिवस | |
| तिसरा स्तर | सहाय्यक समाज विकास अधिकारी | | ४ दिवस | |
| अंतिम लाभार्थी यादी निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | समाज विकास अधिकारी | | २ दिवस | |
| ब.) सक्षम समितीच्या मान्यतेसाठी विषयपत्र सादर करणे / आदेश निर्गत करणे | | | | |
| स्तर | खर्च मर्यादा र.र. १० लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाखाचे वर | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | लिपिक | लिपिक | लिपिक | एकूण कालावधी ४५ दिवस |
| दुसरा स्तर | उपलेखापाल | उपलेखापाल | उपलेखापाल | |
| तिसरा स्तर | कार्यालय अधिक्षक | सहा. आयुक्त | सहा. आयुक्त | |
| विषयपत्र / आदेश निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | सहा. आयुक्त | अति. आयुक्त | आयुक्त | |

| | | |
|----|---|--|
| ८ | आवश्यक फी:- | शुल्क प्रति अर्ज र.र. २०/- |
| ९ | फी भरण्याची पध्दत:- | रोख |
| १० | अंतिम निर्णय विहित कालावधीमध्ये न घेतला गेल्यास ज्यांना जबाबदार धरायचे त्यांचे नाव व पदनाम | १) अर्ज तपासणी - समाजविकास अधिकारी जबाबदार राहतील. २) प्रशासकिय कामकाज - कार्यालय अधिक्षक जबाबदार राहतील. |
| ११ | सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार अर्ज करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५ | सहा. आयुक्त, नागरवस्ती विकास योजना विभाग तळ मजला, मुख्य इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११०१८ e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in |



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - १८
नागरवस्ती विकास योजना विभाग -मागासवर्गीय कल्याणारी योजना



| अ.क्र. | विषय | योजनेची माहिती |
|--------|---|--|
| १ | योजनेचे नाव | माता रमाई आंबेडकर - इयत्ता ५ वी ते इयत्ता १० वी मध्ये शिकत असणा-या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती. |
| २ | आवश्यक कागदपत्रे | १.अर्जदाराने अर्जासोबत आधारकार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक. २.अर्जदाराने अर्जासोबत मतदार ओळखपत्र / मतदार यादीची प्रत या दोन्हीपैकी एक पुरावा जोडावा. (पालकांचे) ३. विद्यार्थी / विद्यार्थिनीचा किंवा त्यांचे वडिलांचा सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील अनु.जाती / अनु.जमाती / विमुक्त जाती / भटक्या जमाती असलेबाबत जातीचा दाखला किंवा विद्यार्थी / विद्यार्थिनीच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्याची प्रत. ४. मागील वर्षी उत्तीर्ण झालेबाबतचा पुरावा. |
| ३ | अंतिम निर्णयासाठी लागणारा कालावधी:- | अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून २ महिने |
| ४ | अ) माहिती / अर्जाचा नमुना मिळण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| | ब) अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| ५ | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम:- | १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ व ६६ नुसार. २) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७२(अ),(ब),(क) नुसार. |
| ६ | शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रक, ठराव इ | १) शासन निर्णय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नवि-१४ दि.१४ जुलै १९९३ २) शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नवि-२७ दि. ८ डिसेंबर २००० ३) शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नवि-२० दि.३० डिसेंबर, २००६ ४) महानगरपालिका ठराव क्र. ४९६६ दिनांक २/९/२००३ |

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ७ | निर्णय घेणारे अधिकारी | | | |
| अ. लाभार्थी पात्र / अपात्र ठरविणे | | | | |
| स्तर | पदनाम | | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी | |
| पहिला स्तर | समुहसंघटक | | ५ दिवस | |
| दुसरा स्तर | समाजसेवक | | ४ दिवस | |
| तिसरा स्तर | सहाय्यक समाज विकास अधिकारी | | ४ दिवस | |
| अंतिम लाभार्थी यादी निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | समाज विकास अधिकारी | | २ दिवस | |
| ब.) सक्षम समितीच्या मान्यतेसाठी विषयपत्र सादर करणे / आदेश निर्गत करणे | | | | |
| स्तर | खर्च मर्यादा र.र. १० लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाखाचे वर | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | लिपिक | लिपिक | लिपिक | एकूण कालावधी ४५ दिवस |
| दुसरा स्तर | उपलेखापाल | उपलेखापाल | उपलेखापाल | |
| तिसरा स्तर | कार्यालय अधिक्षक | सहा. आयुक्त | सहा. आयुक्त | |
| विषयपत्र / आदेश निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | सहा. आयुक्त | अति. आयुक्त | आयुक्त | |

| | | |
|----|---|--|
| ८ | आवश्यक फी:- | शुल्क प्रति अर्ज र.र. २०/- |
| ९ | फी भरण्याची पध्दत:- | रोख |
| १० | अंतिम निर्णय विहित कालावधीमध्ये न घेतला गेल्यास ज्यांना जबाबदार धरायचे त्यांचे नाव व पदनाम | १) अर्ज तपासणी - समाजविकास अधिकारी जबाबदार राहतील. २) प्रशासकिय कामकाज - कार्यालय अधिक्षक जबाबदार राहतील. |
| ११ | सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार अर्ज करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५ | सहा. आयुक्त, नागरवस्ती विकास योजना विभाग तळ मजला, मुख्य इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११०१८ e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in |



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - १८
नागरवस्ती विकास योजना विभाग - मागासवर्गीय कल्याणकारी योजना



| अ.क्र. | विषय | योजनेची माहिती |
|--------|---|--|
| १ | योजनेचे नाव | महर्षि वाल्मीकि - मागासवर्गीय मुला / मुलींना मोफत सायकल घेणेसाठी अर्थसहाय्य (इयत्ता ८ वी ते १२ वी मध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी) |
| २ | आवश्यक कागदपत्रे | १. अर्जदाराने अर्जासोबत आधारकार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक. २. अर्जदाराने अर्जासोबत मतदार ओळखपत्र / मतदार यादीची प्रत या दोन्हीपैकी एक पुरावा जोडावा. (पालकांचे). ३. मागील वर्षी उत्तीर्ण असल्याचा पुरावा (किमान ५० % गूण) आवश्यक . उत्तीर्ण प्रमाणपत्रावर जर ग्रेड नमुद असेल तर CGPA किमान ५.३ असणे आवश्यक आहे. ४. खरेदीच्या पावतीतील रक्कम किंवा रक्कम रु. ४,०००/- यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती अर्जदाराच्या बँक खात्यात जमा करणेत येईल. ५. <u>अर्ज पात्र झाल्याचे या कार्यालयामार्फत कळविल्यानंतरच</u> सायकल खरेदी केल्याची GST नंबर असलेली पक्की पावती सादर करणे आवश्यक राहिल. |
| ३ | अंतिम निर्णयासाठी लागणारा कालावधी:- | अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून २ महिने |
| ४ | अ) माहिती / अर्जाचा नमुना मिळण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| | ब) अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| ५ | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम:- | १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ व ६६ नुसार. २) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७२(अ),(ब),(क) नुसार. |
| ६ | शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रक, ठराव इ | १) शासन निर्णय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नवि-१४ दि.१४ जुलै १९९३ २) शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नवि-२७ दि. ८ डिसेंबर २००० ३) शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नवि-२० दि.३० डिसेंबर, २००६ ४) महानगरपालिका ठराव क्र. ४९६६ दिनांक २/९/२००३ |

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ७ | निर्णय घेणारे अधिकारी | | | |
| अ. लाभार्थी पात्र / अपात्र ठरविणे | | | | |
| स्तर | पदनाम | | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी | |
| पहिला स्तर | समुहसंघटक | | ५ दिवस | |
| दुसरा स्तर | समाजसेवक | | ४ दिवस | |
| तिसरा स्तर | सहाय्यक समाज विकास अधिकारी | | ४ दिवस | |
| अंतिम लाभार्थी यादी निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | समाज विकास अधिकारी | | २ दिवस | |
| ब.) सक्षम समितीच्या मान्यतेसाठी विषयपत्र सादर करणे / आदेश निर्गत करणे | | | | |
| स्तर | खर्च मर्यादा र.र. १० लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाखाचे वर | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | लिपिक | लिपिक | लिपिक | एकूण कालावधी ४५ दिवस |
| दुसरा स्तर | उपलेखापाल | उपलेखापाल | उपलेखापाल | |
| तिसरा स्तर | कार्यालय अधिक्षक | सहा. आयुक्त | सहा. आयुक्त | |
| विषयपत्र / आदेश निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | सहा. आयुक्त | अति. आयुक्त | आयुक्त | |

| | | |
|----|---|--|
| ८ | आवश्यक फी:- | शुल्क प्रति अर्ज र.र. २०/- |
| ९ | फी भरण्याची पध्दत:- | रोख |
| १० | अंतिम निर्णय विहित कालावधीमध्ये न घेतला गेल्यास ज्यांना जबाबदार धरायचे त्यांचे नाव व पदनाम | १) अर्ज तपासणी - समाजविकास अधिकारी जबाबदार राहतील. २) प्रशासकिय कामकाज - कार्यालय अधिक्षक जबाबदार राहतील. |
| ११ | सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार अर्ज करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५ | सहा. आयुक्त, नागरवस्ती विकास योजना विभाग तळ मजला, मुख्य इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११०१८ e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in |



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - १८
नागरवस्ती विकास योजना विभाग - मागासवर्गीय कल्याणकारी योजना



| अ.क्र. | विषय | योजनेची माहिती |
|--------|---|---|
| १ | योजनेचे नाव | पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर - इयत्ता १२ वी नंतरचे (प्रथम वर्ष) वैद्यकीय अभ्यासक्रम (M.B.B.S., B.A.M.S., B.H.M.S., B.D.S., B.U.M.S.) M.B.A. आणि अभियांत्रिकी पदवी परीक्षा यासारखे उच्च शिक्षण घेण्या-या विद्यार्थ्यांना अर्थसहाय्य. |
| २ | आवश्यक कागदपत्रे | १. अर्जदाराने अर्जासोबत आधारकार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक. २. अर्जदाराने अर्जासोबत मतदार ओळखपत्र / मतदार यादीची प्रत या दोन्हीपैकी एक पुरावा जोडावा. (स्वतःचे / पालकांचे). ३. विद्यार्थी / विद्यार्थिनीचा किंवा त्यांचे वडिलांचा सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील अनु.जाती / अनु.जमाती / विमुक्त जाती / भटक्या जमाती असलेबाबत जातीचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला. ४. महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्याबाबत फी भरलेली पावती, बोनाफाईड प्रमाणपत्र इ. ५. शासनाने विहित केलेल्या पद्धतीने गुणवत्तेनुसार फ्रीसीट/ मेरीटसीट प्रवेशपत्र. |
| ३ | अंतिम निर्णयासाठी लागणारा कालावधी:- | अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून २ महिने |
| ४ | अ) माहिती / अर्जाचा नमुना मिळण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| | ब) अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| ५ | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम:- | १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ व ६६ नुसार. २) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७२(अ),(ब),(क) नुसार. |
| ६ | शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रक, ठराव इ | १) शासन निर्णय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नवि-१४ दि.१४ जुलै १९९३ २) शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नवि-२७ दि. ८ डिसेंबर २००० ३) शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नवि-२० दि.३० डिसेंबर, २००६ ४) महानगरपालिका ठराव क्र. ४९६६ दिनांक २/९/२००३ |

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ७ | निर्णय घेणारे अधिकारी | | | |
| अ. लाभार्थी पात्र / अपात्र ठरविणे | | | | |
| स्तर | पदनाम | | | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | समुहसंघटक | | | ५ दिवस |
| दुसरा स्तर | समाजसेवक | | | ४ दिवस |
| तिसरा स्तर | सहाय्यक समाज विकास अधिकारी | | | ४ दिवस |
| अंतिम लाभार्थी यादी निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | समाज विकास अधिकारी | | | २ दिवस |
| ब.) सक्षम समितीच्या मान्यतेसाठी विषयपत्र सादर करणे / आदेश निर्गत करणे | | | | |
| स्तर | खर्च मर्यादा र.र. १० लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाखाचे वर | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | लिपिक | लिपिक | लिपिक | एकूण कालावधी ४५ दिवस |
| दुसरा स्तर | उपलेखापाल | उपलेखापाल | उपलेखापाल | |
| तिसरा स्तर | कार्यालय अधिक्षक | सहा. आयुक्त | सहा. आयुक्त | |
| विषयपत्र / आदेश निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | सहा. आयुक्त | अति. आयुक्त | आयुक्त | |

| | | |
|----|---|--|
| ८ | आवश्यक फी:- | शुल्क प्रति अर्ज र.र. २०/- |
| ९ | फी भरण्याची पध्दत:- | रोख |
| १० | अंतिम निर्णय विहित कालावधीमध्ये न घेतला गेल्यास ज्यांना जबाबदार धरायचे त्यांचे नाव व पदनाम | १) अर्ज तपासणी - समाजविकास अधिकारी जबाबदार राहतील. २) प्रशासकिय कामकाज - कार्यालय अधिक्षक जबाबदार राहतील. |
| ११ | सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार अर्ज करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५ | सहा. आयुक्त, नागरवस्ती विकास योजना विभाग तळ मजला, मुख्य इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११०१८ e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in |



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - १८
नागरवस्ती विकास योजना विभाग - मागासवर्गीय कल्याणकारी योजना



| अ.क्र. | विषय | योजनेची माहिती |
|--------|---|---|
| १ | योजनेचे नाव | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर - मागासवर्गीय युवक / युवतींना परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य |
| २ | आवश्यक कागदपत्रे | १. अर्जदाराने अर्जासोबत आधारकार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक. २. अर्जदाराने अर्जासोबत मतदार ओळखपत्र / मतदार यादीची प्रत या दोन्हीपैकी एक पुरावा जोडावा. (स्वतःचे / पालकांचे). ३. अर्जदार विद्यार्थ्यांचा सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील जातीच्या दाखल्याची प्रत. ४. परदेशातील उच्च शिक्षणाकरिता निवड झालेबाबतची कागदपत्रे तसेच विद्यार्थ्यांचा पासपोर्ट व विद्यार्थ्यांचा व्हिसा इ. ची प्रत. ५. मागील वर्षाची गुणपत्रिकेची प्रत. |
| ३ | अंतिम निर्णयासाठी लागणारा कालावधी:- | अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून २ महिने |
| ४ | अ) माहिती / अर्जाचा नमुना मिळण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| | ब) अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| ५ | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम:- | १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ व ६६ नुसार. २) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७२(अ),(ब),(क) नुसार. |
| ६ | शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रक, ठराव इ | १) शासन निर्णय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नवि-१४ दि. १४ जुलै १९९३ २) शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नवि-२७ दि. ८ डिसेंबर २००० ३) शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नवि-२० दि. ३० डिसेंबर, २००६ ४) महानगरपालिका ठराव क्र. ४९६६ दिनांक २/९/२००३ |

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ७ | निर्णय घेणारे अधिकारी | | | |
| अ. लाभार्थी पात्र / अपात्र ठरविणे | | | | |
| स्तर | पदनाम | | | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | समुहसंघटक | | | ५ दिवस |
| दुसरा स्तर | समाजसेवक | | | ४ दिवस |
| तिसरा स्तर | सहाय्यक समाज विकास अधिकारी | | | ४ दिवस |
| अंतिम लाभार्थी यादी निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | समाज विकास अधिकारी | | | २ दिवस |
| ब.) सक्षम समितीच्या मान्यतेसाठी विषयपत्र सादर करणे / आदेश निर्गत करणे | | | | |
| स्तर | खर्च मर्यादा र.र. १० लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाखाचे वर | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | लिपिक | लिपिक | लिपिक | एकूण कालावधी ४५ दिवस |
| दुसरा स्तर | उपलेखापाल | उपलेखापाल | उपलेखापाल | |
| तिसरा स्तर | कार्यालय अधिक्षक | सहा. आयुक्त | सहा. आयुक्त | |
| विषयपत्र / आदेश निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | सहा. आयुक्त | अति. आयुक्त | आयुक्त | |

| | | |
|----|---|--|
| ८ | आवश्यक फी:- | शुल्क प्रति अर्ज र.र. २०/- |
| ९ | फी भरण्याची पध्दत:- | रोख |
| १० | अंतिम निर्णय विहित कालावधीमध्ये न घेतला गेल्यास ज्यांना जबाबदार धरायचे त्यांचे नाव व पदनाम | १) अर्ज तपासणी - समाजविकास अधिकारी जबाबदार राहतील. २) प्रशासकिय कामकाज - कार्यालय अधिक्षक जबाबदार राहतील. |
| ११ | सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार अर्ज करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५ | सहा. आयुक्त, नागरवस्ती विकास योजना विभाग तळ मजला, मुख्य इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११०१८ e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in |



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - १८
नागरवस्ती विकास योजना विभाग - मागासवर्गीय कल्याणकारी योजना



| अ.क्र. | विषय | योजनेची माहिती |
|--------|---|--|
| १ | योजनेचे नाव | लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे - मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना घरबांधणीसाठी अर्थसहाय्य मिळणेबाबत. |
| २ | आवश्यक कागदपत्रे | १. मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थां उपनिबंधक यांचेकडील को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी नियम १९६० अन्वये नोंदणीकृत असलेबाबतचे प्रमाणपत्र. २. मागासवर्गीय / बिगर मागासवर्गीय सभासदांची नाव, पत्ता, स्वाक्षरी यादी. ३. बांधकाम कंमेन्समेंट सर्टिफिकेट. ४. प्लिनथ सर्टिफिकेट. ५. गृहनिर्माण संस्थेचा बांधकामाचा नकाशा. ६. अर्जदार / लाभार्थीच्या आधारकार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक. ७. अर्जदाराने अर्जासोबत मतदार ओळखपत्र / मतदार यादीची प्रत या दोन्हीपैकी एक पुरावा जोडावा. (प्रत्येक सभासदाचे) |
| ३ | अंतिम निर्णयासाठी लागणारा कालावधी:- | अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून २ महिने |
| ४ | अ) माहिती / अर्जाचा नमुना मिळण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| | ब) अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| ५ | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम:- | १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ व ६६ नुसार. २) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७२(अ),(ब),(क) नुसार. |
| ६ | शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रक, ठराव इ | १) शासन निर्णय क्र. जीईएन- १०९३/१९९८/नवि-१४ दि.१४ जुलै १९९३ २) शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण/१०/२०००/१९६२/प्र.क्र.-२७८/नवि-२७ दि. ८ डिसेंबर २००० ३) शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नवि-२० दि.३० डिसेंबर, २००६ ४) महानगरपालिका ठराव क्र. ४९६६ दिनांक २/९/२००३ |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ७ | निर्णय घेणारे अधिकारी | | | |
| अ. लाभार्थी पात्र / अपात्र ठरविणे | | | | |
| स्तर | पदनाम | | | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | समुहसंघटक | | | ५ दिवस |
| दुसरा स्तर | समाजसेवक | | | ४ दिवस |
| तिसरा स्तर | सहाय्यक समाज विकास अधिकारी | | | ४ दिवस |
| अंतिम लाभार्थी यादी निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | समाज विकास अधिकारी | | | २ दिवस |
| ब.) सक्षम समितीच्या मान्यतेसाठी विषयपत्र सादर करणे / आदेश निर्गत करणे | | | | |
| स्तर | खर्च मर्यादा र.रु. १० लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.रु. २५ लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.रु. २५ लाखाचे वर | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | लिपिक | लिपिक | लिपिक | एकूण कालावधी ४५ दिवस |
| दुसरा स्तर | उपलेखापाल | उपलेखापाल | उपलेखापाल | |
| तिसरा स्तर | कार्यालय अधिक्षक | सहा. आयुक्त | सहा. आयुक्त | |
| विषयपत्र / आदेश निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | सहा. आयुक्त | अति. आयुक्त | आयुक्त | |

| | | |
|----|---|--|
| ८ | आवश्यक फी:- | शुल्क प्रति अर्ज र.रु. २०/- |
| ९ | फी भरण्याची पध्दत:- | रोख |
| १० | अंतिम निर्णय विहित कालावधीमध्ये न घेतला गेल्यास ज्यांना जबाबदार धरायचे त्यांचे नाव व पदनाम | १) अर्ज तपासणी - समाजविकास अधिकारी जबाबदार राहतील. २) प्रशासकिय कामकाज - कार्यालय अधिक्षक जबाबदार राहतील. |
| ११ | सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार अर्ज करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५ | सहा. आयुक्त, नागरवस्ती विकास योजना विभाग तळ मजला, मुख्य इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११०१८ e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in |



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - १८
नागरवस्ती विकास योजना विभाग - दिव्यांग कल्याणकारी योजना



| अ.क्र. | विषय | योजनेची माहिती |
|--------|---|--|
| १ | योजनेचे नाव | पंडित दिनदयाल उपाध्याय - दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती (इ. १ ली ते वय वर्षे १८ पर्यंत) |
| २ | आवश्यक कागदपत्रे | १. अर्जदाराने अर्जासोबत आधारकार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक. २. अर्जदाराने अर्जासोबत मतदार ओळखपत्र / मतदार यादीची प्रत या दोन्हीपैकी एक पुरावा जोडावा. ३. अर्जदाराचे ४० % अपंगत्वाबाबतचे शासकीय / निमशासकीय रुग्णालयाकडील वैद्यकीय प्रमाणपत्र. ४. मागील वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे गुणपत्रकाची प्रत. |
| ३ | अंतिम निर्णयासाठी लागणारा कालावधी:- | अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून २ महिने |
| ४ | अ) माहिती / अर्जाचा नमुना मिळण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| | ब) अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| ५ | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम:- | १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ व ६६ नुसार. २) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७२(अ),(ब),(क) नुसार. |
| ६ | शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रक, ठराव इ | १) शासन निर्णय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नवि-१४ दि. १४ जुलै १९९३ २) शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नवि-२७ दि. ८ डिसेंबर २००० ३) शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नवि-२० दि. ३० डिसेंबर, २००६ ४) महानगरपालिका ठराव क्र. ४९६६ दिनांक २/९/२००३ |

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ७ | निर्णय घेणारे अधिकारी | | | |
| अ. लाभार्थी पात्र / अपात्र ठरविणे | | | | |
| स्तर | पदनाम | | | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | समुहसंघटक | | | ५ दिवस |
| दुसरा स्तर | समाजसेवक | | | ४ दिवस |
| तिसरा स्तर | सहाय्यक समाज विकास अधिकारी | | | ४ दिवस |
| अंतिम लाभार्थी यादी निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | समाज विकास अधिकारी | | | २ दिवस |
| ब.) सक्षम समितीच्या मान्यतेसाठी विषयपत्र सादर करणे / आदेश निर्गत करणे | | | | |
| स्तर | खर्च मर्यादा र.र. १० लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाखाचे वर | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | लिपिक | लिपिक | लिपिक | एकूण कालावधी ४५ दिवस |
| दुसरा स्तर | उपलेखापाल | उपलेखापाल | उपलेखापाल | |
| तिसरा स्तर | कार्यालय अधिक्षक | सहा. आयुक्त | सहा. आयुक्त | |
| विषयपत्र / आदेश निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | सहा. आयुक्त | अति. आयुक्त | आयुक्त | |

| | | |
|----|---|--|
| ८ | आवश्यक फी:- | शुल्क प्रति अर्ज र.र. २०/- |
| ९ | फी भरण्याची पध्दत:- | रोख |
| १० | अंतिम निर्णय विहित कालावधीमध्ये न घेतला गेल्यास ज्यांना जबाबदार धरायचे त्यांचे नाव व पदनाम | १) अर्ज तपासणी - समाजविकास अधिकारी जबाबदार राहतील. २) प्रशासकिय कामकाज - कार्यालय अधिक्षक जबाबदार राहतील. |
| ११ | सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार अर्ज करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५ | सहा. आयुक्त, नागरवस्ती विकास योजना विभाग तळ मजला, मुख्य इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११०१८ e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in |



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - १८
नागरवस्ती विकास योजना विभाग - दिव्यांग कल्याणकारी योजना



| अ.क्र. | विषय | योजनेची माहिती |
|--------|---|--|
| १ | योजनेचे नाव | दिव्यांग विद्यार्थ्यांना इयत्ता १२ वी नंतरचे (प्रथम वर्ष) वैद्यकीय (M.B.B.S., B.A.M.S., B.H.M.S., B.D.S., B.U.M.S,) M.B.A. आणि अभियांत्रिकी पदवी परीक्षा यांसारखे उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अर्थसहाय्य. |
| २ | आवश्यक कागदपत्रे | १.अर्जदाराने अर्जासोबत आधारकार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक. २.अर्जदाराने अर्जासोबत मतदार ओळखपत्र / मतदार यादीची प्रत या दोन्हीपैकी एक पुरावा जोडावा. ३. अर्जदाराचे ४० % किंवा त्यापेक्षा अधिक अपंगत्वाबाबतचे शासकीय / निमशासकीय रुग्णालयाकडील वैद्यकीय प्रमाणपत्र. ४. महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्याबाबत फी भरलेली पावती, बोनोफाईड प्रमाणपत्र इ. ५. शासनाने विहित केलेल्या पद्धतीने गुणवत्तेनुसार (फ्रीसीट / मेरीट सीट) प्रवेशपत्र. ६. मागील वर्षाची गुणपत्रिकेची प्रत. |
| ३ | अंतिम निर्णयासाठी लागणारा कालावधी:- | अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून २ महिने |
| ४ | अ) माहिती / अर्जाचा नमुना मिळण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| | ब) अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| ५ | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम:- | १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ व ६६ नुसार. २) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७२(अ),(ब),(क) नुसार. |
| ६ | शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रक, ठराव इ | १) शासन निर्णय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नवि-१४ दि.१४ जुलै १९९३ २) शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नवि-२७ दि. ८ डिसेंबर २००० ३) शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नवि-२० दि.३० डिसेंबर, २००६ ४) महानगरपालिका ठराव क्र. ४९६६ दिनांक २/९/२००३ |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ७ | निर्णय घेणारे अधिकारी | | | |
| अ. लाभार्थी पात्र / अपात्र ठरविणे | | | | |
| स्तर | पदनाम | | | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | समुहसंघटक | | | ५ दिवस |
| दुसरा स्तर | समाजसेवक | | | ४ दिवस |
| तिसरा स्तर | सहाय्यक समाज विकास अधिकारी | | | ४ दिवस |
| अंतिम लाभार्थी यादी निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | समाज विकास अधिकारी | | | २ दिवस |
| ब.) सक्षम समितीच्या मान्यतेसाठी विषयपत्र सादर करणे / आदेश निर्गत करणे | | | | |
| स्तर | खर्च मर्यादा र.रु. १० लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.रु. २५ लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.रु. २५ लाखाचे वर | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | लिपिक | लिपिक | लिपिक | एकूण कालावधी ४५ दिवस |
| दुसरा स्तर | उपलेखापाल | उपलेखापाल | उपलेखापाल | |
| तिसरा स्तर | कार्यालय अधिक्षक | सहा. आयुक्त | सहा. आयुक्त | |
| विषयपत्र / आदेश निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | सहा. आयुक्त | अति. आयुक्त | आयुक्त | |

| | | |
|----|---|--|
| ८ | आवश्यक फी:- | शुल्क प्रति अर्ज र.रु. २०/- |
| ९ | फी भरण्याची पध्दत:- | रोख |
| १० | अंतिम निर्णय विहित कालावधीमध्ये न घेतला गेल्यास ज्यांना जबाबदार धरायचे त्यांचे नाव व पदनाम | १) अर्ज तपासणी - समाजविकास अधिकारी जबाबदार राहतील. २) प्रशासकिय कामकाज - कार्यालय अधिक्षक जबाबदार राहतील. |
| ११ | सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार अर्ज करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५ | सहा. आयुक्त, नागरवस्ती विकास योजना विभाग तळ मजला, मुख्य इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११०१८ e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in |



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - १८
नागरवस्ती विकास योजना विभाग - अपंग कल्याणकारी योजना



| अ.क्र. | विषय | योजनेची माहिती |
|--------|---|---|
| १ | योजनेचे नाव | कुष्ठपिडीत व्यक्तींना अर्थसहाय्य |
| २ | आवश्यक कागदपत्रे | १. अर्जदाराने अर्जासोबत आधारकार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक. २. अर्जदाराने अर्जासोबत मतदार ओळखपत्र / मतदार यादीची प्रत या दोन्हीपैकी एक पुरावा जोडावा. ३. ४०% किंवा त्यापेक्षा अधिक कुष्ठरुग्ण अपंगत्वाबाबतचे शासकीय / निमशासकीय रुग्णालयाकडील वैद्यकीय प्रमाणपत्र. |
| ३ | अंतिम निर्णयासाठी लागणारा कालावधी:- | अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून २ महिने |
| ४ | अ) माहिती / अर्जाचा नमुना मिळण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| | ब) अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| ५ | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम:- | १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ व ६६ नुसार. २) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७२(अ),(ब),(क) नुसार. |
| ६ | शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रक, ठराव इ | १) शासन निर्णय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नवि-१४ दि.१४ जुलै १९९३ २) शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नवि-२७ दि. ८ डिसेंबर २००० ३) शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नवि-२० दि.३० डिसेंबर, २००६ ४) महानगरपालिका ठराव क्र. ४९६६ दिनांक २/९/२००३ |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ७ | निर्णय घेणारे अधिकारी | | | |
| अ. लाभार्थी पात्र / अपात्र ठरविणे | | | | |
| स्तर | पदनाम | | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी | |
| पहिला स्तर | समुहसंघटक | | ५ दिवस | |
| दुसरा स्तर | समाजसेवक | | ४ दिवस | |
| तिसरा स्तर | सहाय्यक समाज विकास अधिकारी | | ४ दिवस | |
| अंतिम लाभार्थी यादी निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | समाज विकास अधिकारी | | २ दिवस | |
| ब.) सक्षम समितीच्या मान्यतेसाठी विषयपत्र सादर करणे / आदेश निर्गत करणे | | | | |
| स्तर | खर्च मर्यादा र.रु. १० लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.रु. २५ लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.रु. २५ लाखाचे वर | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | लिपिक | लिपिक | लिपिक | एकूण कालावधी ४५ दिवस |
| दुसरा स्तर | उपलेखापाल | उपलेखापाल | उपलेखापाल | |
| तिसरा स्तर | कार्यालय अधिक्षक | सहा. आयुक्त | सहा. आयुक्त | |
| विषयपत्र / आदेश निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | सहा. आयुक्त | अति. आयुक्त | आयुक्त | |

| | | |
|----|---|--|
| ८ | आवश्यक फी:- | शुल्क प्रति अर्ज र.रु. २०/- |
| ९ | फी भरण्याची पध्दत:- | रोख |
| १० | अंतिम निर्णय विहित कालावधीमध्ये न घेतला गेल्यास ज्यांना जबाबदार धरायचे त्यांचे नाव व पदनाम | १) अर्ज तपासणी - समाजविकास अधिकारी जबाबदार राहतील. २) प्रशासकिय कामकाज - कार्यालय अधिक्षक जबाबदार राहतील. |
| ११ | सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार अर्ज करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५ | सहा. आयुक्त, नागरवस्ती विकास योजना विभाग तळ मजला, मुख्य इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११०१८ e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in |



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - १८
नागरवस्ती विकास योजना विभाग - दिव्यांग कल्याणकारी योजना



| अ.क्र. | विषय | योजनेची माहिती |
|--------|---|--|
| १ | योजनेचे नाव | दिव्यांग व्यक्तींना उपयुक्त साधन घेणेकामी अर्थसहाय्य |
| २ | आवश्यक कागदपत्रे | १. अर्जदाराने अर्जसोबत आधारकार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक. २. अर्जदाराने अर्जसोबत मतदार ओळखपत्र / मतदार यादीची प्रत या दोन्हीपैकी एक पुरावा जोडावा. (स्वतःचे / पालकांचे) ३. ४०% अथवा त्यापेक्षा अधिक अपंगत्वाचे शासकीय/निमशासकीय रुग्णालयाकडील वैद्यकीय प्रमाणपत्र. ४. अर्ज पात्र झाल्याचे या कार्यालयामार्फत कळविल्यानंतर साधन खरेदी केल्याची GST नंबर असलेली पक्की पावती सादर करणे आवश्यक राहिल. ५. खरेदीच्या पावतीतील रक्कम किंवा र. रु. १०,०००/- यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती अर्जदाराच्या बँक खात्यात जमा करणेत येईल. |
| ३ | अंतिम निर्णयासाठी लागणारा कालावधी:- | अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून २ महिने |
| ४ | अ) माहिती / अर्जाचा नमुना मिळण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| | ब) अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| ५ | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम:- | १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ व ६६ नुसार. २) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७२(अ),(ब),(क) नुसार. |
| ६ | शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रक, ठराव इ | १) शासन निर्णय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नवि-१४ दि.१४ जुलै १९९३ २) शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नवि-२७ दि. ८ डिसेंबर २००० ३) शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नवि-२० दि.३० डिसेंबर, २००६ ४) महानगरपालिका ठराव क्र. ४९६६ दिनांक २/९/२००३ |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ७ | निर्णय घेणारे अधिकारी | | | |
| अ. लाभार्थी पात्र / अपात्र ठरविणे | | | | |
| स्तर | पदनाम | | | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | समुहसंघटक | | | ५ दिवस |
| दुसरा स्तर | समाजसेवक | | | ४ दिवस |
| तिसरा स्तर | सहाय्यक समाज विकास अधिकारी | | | ४ दिवस |
| अंतिम लाभार्थी यादी निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | समाज विकास अधिकारी | | | २ दिवस |
| ब.) सक्षम समितीच्या मान्यतेसाठी विषयपत्र सादर करणे / आदेश निर्गत करणे | | | | |
| स्तर | खर्च मर्यादा र.रु. १० लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.रु. २५ लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.रु. २५ लाखाचे वर | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | लिपिक | लिपिक | लिपिक | एकूण कालावधी ४५ दिवस |
| दुसरा स्तर | उपलेखापाल | उपलेखापाल | उपलेखापाल | |
| तिसरा स्तर | कार्यालय अधिक्षक | सहा. आयुक्त | सहा. आयुक्त | |
| विषयपत्र / आदेश निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | सहा. आयुक्त | अति. आयुक्त | आयुक्त | |

| | | |
|----|---|--|
| ८ | आवश्यक फी:- | शुल्क प्रति अर्ज र.रु. २०/- |
| ९ | फी भरण्याची पध्दत:- | रोख |
| १० | अंतिम निर्णय विहित कालावधीमध्ये न घेतला गेल्यास ज्यांना जबाबदार धरायचे त्यांचे नाव व पदनाम | १) अर्ज तपासणी - समाजविकास अधिकारी जबाबदार राहतील. २) प्रशासकिय कामकाज - कार्यालय अधिक्षक जबाबदार राहतील. |
| ११ | सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार अर्ज करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५ | सहा. आयुक्त, नागरवस्ती विकास योजना विभाग तळ मजला, मुख्य इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११०१८ e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in |



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - १८
नागरवस्ती विकास योजना विभाग - दिव्यांग कल्याणकारी योजना



| अ.क्र. | विषय | योजनेची माहिती |
|--------|---|---|
| १ | योजनेचे नाव | विशेष (मतिमंद) व्यक्तींचा सांभाळ करणा-या संस्थेस / पालकांस अर्थसहाय्य |
| २ | आवश्यक कागदपत्रे | १.अर्जदाराने अर्जसोबत आधारकार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक. २.अर्जदाराने अर्जसोबत मतदार ओळखपत्र / मतदार यादीची प्रत या दोन्हीपैकी एक पुरावा जोडावा. (स्वतःचे / पालकांचे) ३. मतिमंद व्यक्तीचे बाबत शासकीय / मनपा रूग्णालयाकडील मतिमंदत्वाचा दाखला. ४. संस्थेचे धर्मादाय आयुक्त यांचेकडील नोंदणी प्रमाणपत्र |
| ३ | अंतिम निर्णयासाठी लागणारा कालावधी:- | अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून २ महिने |
| ४ | अ) माहिती / अर्जाचा नमुना मिळण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| | ब) अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| ५ | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम:- | १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ व ६६ नुसार. २) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७२(अ),(ब),(क) नुसार. |
| ६ | शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रक, ठराव इ | १) शासन निर्णय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नवि-१४ दि.१४ जुलै १९९३ २) शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नवि-२७ दि. ८ डिसेंबर २००० ३) शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नवि-२० दि.३० डिसेंबर, २००६ ४) महानगरपालिका ठराव क्र. ४९६६ दिनांक २/९/२००३ |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ७ | निर्णय घेणारे अधिकारी | | | | |
| अ. लाभार्थी पात्र / अपात्र ठरविणे | | | | | |
| | स्तर | पदनाम | | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी | |
| | पहिला स्तर | समुहसंघटक | | ५ दिवस | |
| | दुसरा स्तर | समाजसेवक | | ४ दिवस | |
| | तिसरा स्तर | सहाय्यक समाज विकास अधिकारी | | ४ दिवस | |
| | अंतिम लाभार्थी यादी निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | समाज विकास अधिकारी | | २ दिवस | |
| ब.) सक्षम समितीच्या मान्यतेसाठी विषयपत्र सादर करणे / आदेश निर्गत करणे | | | | | |
| | स्तर | खर्च मर्यादा र.र. १० लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाखाचे वर | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| | पहिला स्तर | लिपिक | लिपिक | लिपिक | एकूण कालावधी ४५ दिवस |
| | दुसरा स्तर | उपलेखापाल | उपलेखापाल | उपलेखापाल | |
| | तिसरा स्तर | कार्यालय अधिक्षक | सहा. आयुक्त | सहा. आयुक्त | |
| | विषयपत्र / आदेश निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | सहा. आयुक्त | अति. आयुक्त | आयुक्त | |

| | | |
|----|---|--|
| ८ | आवश्यक फी:- | शुल्क प्रति अर्ज र.र. २०/- |
| ९ | फी भरण्याची पध्दत:- | रोख |
| १० | अंतिम निर्णय विहित कालावधीमध्ये न घेतला गेल्यास ज्यांना जबाबदार धरायचे त्यांचे नाव व पदनाम | १) अर्ज तपासणी - समाजविकास अधिकारी जबाबदार राहतील. २) प्रशासकिय कामकाज - कार्यालय अधिक्षक जबाबदार राहतील. |
| ११ | सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार अर्ज करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५ | सहा. आयुक्त, नागरवस्ती विकास योजना विभाग तळ मजला, मुख्य इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११०१८ e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in |



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - १८
नागरवस्ती विकास योजना विभाग - दिव्यांग कल्याणकारी योजना



| अ.क्र. | विषय | योजनेची माहिती |
|--------|---|--|
| १ | योजनेचे नाव | पंडित दिनदयाल उपाध्याय दिव्यांग (अंपंग) कल्याणकारी (अर्थसहाय्य) योजना |
| २ | आवश्यक कागदपत्रे | १.अर्जदाराने अर्जासोबत आधारकार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक. २.अर्जदाराने अर्जासोबत मतदार ओळखपत्र / मतदार यादीची प्रत या दोन्हीपैकी एक पुरावा जोडावा. ३.४०% व त्यापुढील अंपंगत्वाचा शासकीय रुग्णालयाचा दाखला आवश्यक. (तसेच शासन वेळोवेळी जे बदल सुचवतील त्या नुसार नियम व अटीत बदल करणेत येतील.) ४.लाभार्थ्याची वयोमर्यादा १८ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक. ५.सदर योजने अंतर्गत लाभ घेणा-या लाभार्थ्यांचे कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत / शेड्युलड बँकेत खाते असणे आवश्यक. सोबत बँक खाते पासबुकची झेरॉक्स प्रत जोडणे आवश्यक. ६.सदर योजनेचा लाभ घेणा-या अर्जदाराने ह्यात असलेबाबतचा दाखला नागरवस्ती विभागातील लेखाधिकारी / उपलेखापाल यांचे समक्ष हजर राहून स्वाक्षरी करून अथवा सन्माननीय नगरसेवक यांचेकडून ह्यातीचा दाखला घेऊन नागरवस्ती विभागामध्ये दरवर्षी दि. १ ते ३१ जानेवारी या कालावधीत खात्री पटवून देणे बंधनकारक राहिल. ७. स्वतः शासकीय व निमशासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या सेवकांना पेन्शन मिळत असल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. ८.केंद्रशासन व राज्यशासनाच्या सामाजिक अर्थसहाय्य योजनेतून अर्थसहाय्य मिळत असल्यास अशी रक्कम वजा करून उर्वरीत रकमेचा लाभ देय राहिल. ९.पिंपरी चिंचवड मनपा हद्दीतील किमान तीन वर्षे वास्तव्य असणे बंधनकारक आहे. १०.सदर योजनेचा लाभ देणे अथवा न देणे याबाबतचा संपूर्ण अधिकार मा. महापालिका आयुक्त अथवा ते प्राधिकृत करतील त्या अधिका-यास राहिल. |
| ३ | अंतिम निर्णयासाठी लागणारा कालावधी:- | अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून २ महिने |
| ४ | अ) माहिती / अर्जाचा नमुना मिळण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| | ब) अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| ५ | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम:- | १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ व ६६ नुसार. २) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७२(अ),(ब),(क) नुसार. |
| ६ | शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रक, ठराव इ | १) शासन निर्णय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नवि-१४ दि.१४ जुलै १९९३ २) शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नवि-२७ दि. ८ डिसेंबर २००० ३) शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नवि-२० दि.३० डिसेंबर, २००६ ४) महानगरपालिका ठराव क्र. ४९६६ दिनांक २/९/२००३ |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ७ | निर्णय घेणारे अधिकारी | | | | |
| अ. लाभार्थी पात्र / अपात्र ठरविणे | | | | | |
| | स्तर | पदनाम | | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी | |
| | पहिला स्तर | समुहसंघटक | | ५ दिवस | |
| | दुसरा स्तर | समाजसेवक | | ४ दिवस | |
| | तिसरा स्तर | सहाय्यक समाज विकास अधिकारी | | ४ दिवस | |
| | अंतिम लाभार्थी यादी निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | समाज विकास अधिकारी | | २ दिवस | |
| ब.) सक्षम समितीच्या मान्यतेसाठी विषयपत्र सादर करणे / आदेश निर्गत करणे | | | | | |
| | स्तर | खर्च मर्यादा र.रु. १० लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.रु. २५ लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.रु. २५ लाखाचे वर | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| | पहिला स्तर | लिपिक | लिपिक | लिपिक | एकूण कालावधी ४५ दिवस |
| | दुसरा स्तर | उपलेखापाल | उपलेखापाल | उपलेखापाल | |
| | तिसरा स्तर | कार्यालय अधिक्षक | सहा. आयुक्त | सहा. आयुक्त | |
| | विषयपत्र / आदेश निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | सहा. आयुक्त | अति. आयुक्त | आयुक्त | |

| | | |
|----|---|--|
| ८ | आवश्यक फी:- | शुल्क प्रति अर्ज र.रु. २०/- |
| ९ | फी भरण्याची पध्दत:- | रोख |
| १० | अंतिम निर्णय विहित कालावधीमध्ये न घेतला गेल्यास ज्यांना जबाबदार धरायचे त्यांचे नाव व पदनाम | १) अर्ज तपासणी - समाजविकास अधिकारी जबाबदार राहतील. २) प्रशासकिय कामकाज - कार्यालय अधिक्षक जबाबदार राहतील. |
| ११ | सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार अर्ज करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५ | सहा. आयुक्त, नागरवस्ती विकास योजना विभाग तळ मजला, मुख्य इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११०१८ e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in |



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - १८
नागरवस्ती विकास योजना विभाग - इतर कल्याणकारी योजना



| अ.क्र. | विषय | योजनेची माहिती |
|--------|---|--|
| १ | योजनेचे नाव | इ. १० वी मध्ये एकूण ८० ते ९० टक्के गुण संपादन केलेल्या विद्यार्थ्यांना बक्षीस रक्कम |
| २ | आवश्यक कागदपत्रे | १. अर्जदाराने अर्जासोबत आधारकार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक. २. अर्जदाराने अर्जासोबत मतदार ओळखपत्र / मतदार यादीची प्रत या दोन्हीपैकी एक पुरावा जोडावा. (पालकांचे) ३. इयत्ता १० वी उत्तीर्ण झालेबाबतची गुणपत्रिकेची प्रत ४. १० वी उत्तीर्ण प्रमाणपत्रावर जर ग्रेड नमुद असेल तर CGPA किमान ८.५ असणे आवश्यक. |
| ३ | अंतिम निर्णयासाठी लागणारा कालावधी:- | अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून २ महिने |
| ४ | अ) माहिती / अर्जाचा नमुना मिळण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| | ब) अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| ५ | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम:- | १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ व ६६ नुसार. २) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७२(अ),(ब),(क) नुसार. |
| ६ | शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रक, ठराव इ | १) शासन निर्णय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नवि-१४ दि.१४ जुलै १९९३ २) शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नवि-२७ दि. ८ डिसेंबर २००० ३) शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नवि-२० दि.३० डिसेंबर, २००६ ४) महानगरपालिका ठराव क्र. ४९६६ दिनांक २/९/२००३ |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ७ | निर्णय घेणारे अधिकारी | | | |
| अ. लाभार्थी पात्र / अपात्र ठरविणे | | | | |
| स्तर | पदनाम | | | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | समुहसंघटक | | | ५ दिवस |
| दुसरा स्तर | समाजसेवक | | | ४ दिवस |
| तिसरा स्तर | सहाय्यक समाज विकास अधिकारी | | | ४ दिवस |
| अंतिम लाभार्थी यादी निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | समाज विकास अधिकारी | | | २ दिवस |
| ब.) सक्षम समितीच्या मान्यतेसाठी विषयपत्र सादर करणे / आदेश निर्गत करणे | | | | |
| स्तर | खर्च मर्यादा र.रु. १० लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.रु. २५ लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.रु. २५ लाखाचे वर | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | लिपिक | लिपिक | लिपिक | एकूण कालावधी ४५ दिवस |
| दुसरा स्तर | उपलेखापाल | उपलेखापाल | उपलेखापाल | |
| तिसरा स्तर | कार्यालय अधिक्षक | सहा. आयुक्त | सहा. आयुक्त | |
| विषयपत्र / आदेश निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | सहा. आयुक्त | अति. आयुक्त | आयुक्त | |

| | | |
|----|---|--|
| ८ | आवश्यक फी:- | शुल्क प्रति अर्ज र.रु. २०/- |
| ९ | फी भरण्याची पध्दत:- | रोख |
| १० | अंतिम निर्णय विहित कालावधीमध्ये न घेतला गेल्यास ज्यांना जबाबदार धरायचे त्यांचे नाव व पदनाम | १) अर्ज तपासणी - समाजविकास अधिकारी जबाबदार राहतील. २) प्रशासकिय कामकाज - कार्यालय अधिक्षक जबाबदार राहतील. |
| ११ | सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार अर्ज करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५ | सहा. आयुक्त, नागरवस्ती विकास योजना विभाग तळ मजला, मुख्य इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११०१८ e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in |



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - १८
नागरवस्ती विकास योजना विभाग - इतर कल्याणकारी योजना



| अ.क्र. | विषय | योजनेची माहिती |
|--------|---|--|
| १ | योजनेचे नाव | इ. १० वी मध्ये एकूण ९० टक्के पेक्षा जास्त गुण संपादन केलेल्या विद्यार्थ्यांना बक्षीस रक्कम |
| २ | आवश्यक कागदपत्रे | १. अर्जदाराने अर्जासोबत आधारकार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक. २. अर्जदाराने अर्जासोबत मतदार ओळखपत्र / मतदार यादीची प्रत या दोन्हीपैकी एक पुरावा जोडावा. (पालकांचे) ३. इयत्ता १० वी उत्तीर्ण झालेबाबतची गुणपत्रिकेची प्रत ४. १० वी उत्तीर्ण प्रमाणपत्रावर जर ग्रेड नमुद असेल तर CGPA किमान ९.५ असणे आवश्यक. |
| ३ | अंतिम निर्णयासाठी लागणारा कालावधी:- | अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून २ महिने |
| ४ | अ) माहिती / अर्जाचा नमुना मिळण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| | ब) अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| ५ | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम:- | १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ व ६६ नुसार. २) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७२(अ),(ब),(क) नुसार. |
| ६ | शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रक, ठराव इ | १) शासन निर्णय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नवि-१४ दि.१४ जुलै १९९३ २) शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नवि-२७ दि. ८ डिसेंबर २००० ३) शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नवि-२० दि.३० डिसेंबर, २००६ ४) महानगरपालिका ठराव क्र. ४९६६ दिनांक २/९/२००३ |

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ७ | निर्णय घेणारे अधिकारी | | | |
| अ. लाभार्थी पात्र / अपात्र ठरविणे | | | | |
| स्तर | पदनाम | | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी | |
| पहिला स्तर | समुहसंघटक | | ५ दिवस | |
| दुसरा स्तर | समाजसेवक | | ४ दिवस | |
| तिसरा स्तर | सहाय्यक समाज विकास अधिकारी | | ४ दिवस | |
| अंतिम लाभार्थी यादी निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | समाज विकास अधिकारी | | २ दिवस | |
| ब.) सक्षम समितीच्या मान्यतेसाठी विषयपत्र सादर करणे / आदेश निर्गत करणे | | | | |
| स्तर | खर्च मर्यादा र.र. १० लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाखाचे वर | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | लिपिक | लिपिक | लिपिक | एकूण कालावधी ४५ दिवस |
| दुसरा स्तर | उपलेखापाल | उपलेखापाल | उपलेखापाल | |
| तिसरा स्तर | कार्यालय अधिक्षक | सहा. आयुक्त | सहा. आयुक्त | |
| विषयपत्र / आदेश निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | सहा. आयुक्त | अति. आयुक्त | आयुक्त | |

| | | |
|----|---|--|
| ८ | आवश्यक फी:- | शुल्क प्रति अर्ज र.र. २०/- |
| ९ | फी भरण्याची पध्दत:- | रोख |
| १० | अंतिम निर्णय विहित कालावधीमध्ये न घेतला गेल्यास ज्यांना जबाबदार धरायचे त्यांचे नाव व पदनाम | १) अर्ज तपासणी - समाजविकास अधिकारी जबाबदार राहतील. २) प्रशासकिय कामकाज - कार्यालय अधिक्षक जबाबदार राहतील. |
| ११ | सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार अर्ज करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५ | सहा. आयुक्त, नागरवस्ती विकास योजना विभाग तळ मजला, मुख्य इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११०१८ e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in |



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - १८
नागरवस्ती विकास योजना विभाग - इतर कल्याणकारी योजना



| अ.क्र. | विषय | योजनेची माहिती |
|--------|---|--|
| १ | योजनेचे नाव | इ. १२ वी मध्ये एकूण ८० टक्के पेक्षा जास्त गुण संपादन केलेल्या विद्यार्थ्यांना बक्षीस रक्कम |
| २ | आवश्यक कागदपत्रे | १. अर्जदाराने अर्जासोबत आधारकार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक. २. अर्जदाराने अर्जासोबत मतदार ओळखपत्र / मतदार यादीची प्रत या दोन्हीपैकी एक पुरावा जोडावा. (पालकांचे) ३. इयत्ता १२ वी उत्तीर्ण झालेबाबतची गुणपत्रिकेची प्रत ४. १२ वी उत्तीर्ण प्रमाणपत्रावर जर ग्रेड नमुद असेल तर CGPA किमान ८.५ असणे आवश्यक. |
| ३ | अंतिम निर्णयासाठी लागणारा कालावधी:- | अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून २ महिने |
| ४ | अ) माहिती / अर्जाचा नमुना मिळण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| | ब) अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| ५ | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम:- | १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ व ६६ नुसार. २) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७२(अ),(ब),(क) नुसार. |
| ६ | शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रक, ठराव इ | १) शासन निर्णय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नवि-१४ दि.१४ जुलै १९९३ २) शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नवि-२७ दि. ८ डिसेंबर २००० ३) शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नवि-२० दि.३० डिसेंबर, २००६ ४) महानगरपालिका ठराव क्र. ४९६६ दिनांक २/९/२००३ |

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ७ | निर्णय घेणारे अधिकारी | | | |
| अ. लाभार्थी पात्र / अपात्र ठरविणे | | | | |
| स्तर | पदनाम | | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी | |
| पहिला स्तर | समुहसंघटक | | ५ दिवस | |
| दुसरा स्तर | समाजसेवक | | ४ दिवस | |
| तिसरा स्तर | सहाय्यक समाज विकास अधिकारी | | ४ दिवस | |
| अंतिम लाभार्थी यादी निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | समाज विकास अधिकारी | | २ दिवस | |
| ब.) सक्षम समितीच्या मान्यतेसाठी विषयपत्र सादर करणे / आदेश निर्गत करणे | | | | |
| स्तर | खर्च मर्यादा र.र. १० लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाखाचे वर | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | लिपिक | लिपिक | लिपिक | एकूण कालावधी ४५ दिवस |
| दुसरा स्तर | उपलेखापाल | उपलेखापाल | उपलेखापाल | |
| तिसरा स्तर | कार्यालय अधिक्षक | सहा. आयुक्त | सहा. आयुक्त | |
| विषयपत्र / आदेश निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | सहा. आयुक्त | अति. आयुक्त | आयुक्त | |

| | | |
|----|---|--|
| ८ | आवश्यक फी:- | शुल्क प्रति अर्ज र.र. २०/- |
| ९ | फी भरण्याची पध्दत:- | रोख |
| १० | अंतिम निर्णय विहित कालावधीमध्ये न घेतला गेल्यास ज्यांना जबाबदार धरायचे त्यांचे नाव व पदनाम | १) अर्ज तपासणी - समाजविकास अधिकारी जबाबदार राहतील. २) प्रशासकिय कामकाज - कार्यालय अधिक्षक जबाबदार राहतील. |
| ११ | सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार अर्ज करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५ | सहा. आयुक्त, नागरवस्ती विकास योजना विभाग तळ मजला, मुख्य इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११०१८ e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in |



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - १८
नागरवस्ती विकास योजना विभाग - इतर कल्याणकारी योजना



| अ.क्र. | विषय | योजनेची माहिती |
|--------|---|--|
| १ | योजनेचे नाव | पंडीत दीनदयाल उपाध्याय - इयत्ता १ ली ते पदव्युत्तर पर्यंत शिक्षण घेणा-या महापालिका हद्दीतील अनाथ / निराधार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती |
| २ | आवश्यक कागदपत्रे | १. अर्जदाराने अर्जासोबत आधारकार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक. २. अर्जदाराने अर्जासोबत मतदार ओळखपत्र / मतदार यादीची प्रत या दोन्हीपैकी एक पुरावा जोडावा. (स्वतःचे / पालकांचे) ३. विद्यार्थी संस्थेत राहत असल्यास संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र ४. आई-वडिल ह्यात नसल्याचे प्रमाणपत्र (अनाथाश्रमात रहात नसल्यास) ५. मागील वर्षी उत्तीर्ण असल्याचा पुरावा. |
| ३ | अंतिम निर्णयासाठी लागणारा कालावधी:- | अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून २ महिने |
| ४ | अ) माहिती / अर्जाचा नमुना मिळण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| | ब) अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| ५ | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम:- | १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ व ६६ नुसार. २) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७२(अ),(ब),(क) नुसार. |
| ६ | शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रक, ठराव इ | १) शासन निर्णय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नवि-१४ दि.१४ जुलै १९९३ २) शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नवि-२७ दि. ८ डिसेंबर २००० ३) शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नवि-२० दि.३० डिसेंबर, २००६ ४) महानगरपालिका ठराव क्र. ४९६६ दिनांक २/९/२००३ |

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ७ | निर्णय घेणारे अधिकारी | | | |
| अ. लाभार्थी पात्र / अपात्र ठरविणे | | | | |
| स्तर | पदनाम | | | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | समुहसंघटक | | | ५ दिवस |
| दुसरा स्तर | समाजसेवक | | | ४ दिवस |
| तिसरा स्तर | सहाय्यक समाज विकास अधिकारी | | | ४ दिवस |
| अंतिम लाभार्थी यादी निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | समाज विकास अधिकारी | | | २ दिवस |
| ब.) सक्षम समितीच्या मान्यतेसाठी विषयपत्र सादर करणे / आदेश निर्गत करणे | | | | |
| स्तर | खर्च मर्यादा र.र. १० लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाखाचे वर | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | लिपिक | लिपिक | लिपिक | एकूण कालावधी ४५ दिवस |
| दुसरा स्तर | उपलेखापाल | उपलेखापाल | उपलेखापाल | |
| तिसरा स्तर | कार्यालय अधिक्षक | सहा. आयुक्त | सहा. आयुक्त | |
| विषयपत्र / आदेश निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | सहा. आयुक्त | अति. आयुक्त | आयुक्त | |

| | | |
|----|---|--|
| ८ | आवश्यक फी:- | शुल्क प्रति अर्ज र.र. २०/- |
| ९ | फी भरण्याची पध्दत:- | रोख |
| १० | अंतिम निर्णय विहित कालावधीमध्ये न घेतला गेल्यास ज्यांना जबाबदार धरायचे त्यांचे नाव व पदनाम | १) अर्ज तपासणी - समाजविकास अधिकारी जबाबदार राहतील. २) प्रशासकिय कामकाज - कार्यालय अधिक्षक जबाबदार राहतील. |
| ११ | सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार अर्ज करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५ | सहा. आयुक्त, नागरवस्ती विकास योजना विभाग तळ मजला, मुख्य इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११०१८ e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in |



पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - १८
नागरवस्ती विकास योजना विभाग - इतर कल्याणकारी योजना



| अ.क्र. | विषय | योजनेची माहिती |
|--------|---|--|
| १ | योजनेचे नाव | वय वर्षे ० ते १८ या वयोगटातील एच.आय.व्ही. / एड्स बाधित मुलांचा सांभाळ करणा-या पालकांना / संस्थांना अर्थसहाय्य |
| २ | आवश्यक कागदपत्रे | १. अर्जदाराने अर्जासोबत आधारकार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक. २. अर्जदाराने अर्जासोबत मतदार ओळखपत्र / मतदार यादीची प्रत या दोन्हीपैकी एक पुरावा जोडावा. (स्वतःचे / पालकांचे) ३. संस्थेच्या बाबतीत अर्जदार संस्था ही " सार्वजनिक विश्वस्त कायदा " अथवा " संस्था नोंदणी अधिनियम " 1960 अन्वये नोंदणीकृत असल्याचे प्रमाणपत्र. ४. पाल्य एच.आय.व्ही./ एड्स बाधित असल्याचे शासकीय रुग्णालयाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र. ५. पाल्याच्या वयाचा पुरावा (पाल्याचे वय 18 वर्षेपर्यंत). |
| ३ | अंतिम निर्णयासाठी लागणारा कालावधी:- | अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून २ महिने |
| ४ | अ) माहिती / अर्जाचा नमुना मिळण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| | ब) अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण:- | खाजगी तत्वावरील नागरी सुविधा केंद्र |
| ५ | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे आहे ते कलम:- | १) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ व ६६ नुसार. २) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७२(अ),(ब),(क) नुसार. |
| ६ | शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रक, ठराव इ | १) शासन निर्णय क्र. जीईएन- १०९३/११९८/नवि-१४ दि.१४ जुलै १९९३ २) शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण/१०/२०००/११६२/प्र.क्र.-२७८/नवि-२७ दि. ८ डिसेंबर २००० ३) शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण २००५ : प्र.क्र. १५६/०५/नवि-२० दि.३० डिसेंबर, २००६ ४) महानगरपालिका ठराव क्र. ४९६६ दिनांक २/९/२००३ |

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ७ | निर्णय घेणारे अधिकारी | | | |
| अ. लाभार्थी पात्र / अपात्र ठरविणे | | | | |
| स्तर | पदनाम | | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी | |
| पहिला स्तर | समुहसंघटक | | ५ दिवस | |
| दुसरा स्तर | समाजसेवक | | ४ दिवस | |
| तिसरा स्तर | सहाय्यक समाज विकास अधिकारी | | ४ दिवस | |
| अंतिम लाभार्थी यादी निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | समाज विकास अधिकारी | | २ दिवस | |
| ब.) सक्षम समितीच्या मान्यतेसाठी विषयपत्र सादर करणे / आदेश निर्गत करणे | | | | |
| स्तर | खर्च मर्यादा र.र. १० लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाख पर्यंत | खर्च मर्यादा र.र. २५ लाखाचे वर | निर्णयासाठी लागणारा कालावधी |
| पहिला स्तर | लिपिक | लिपिक | लिपिक | एकूण कालावधी ४५ दिवस |
| दुसरा स्तर | उपलेखापाल | उपलेखापाल | उपलेखापाल | |
| तिसरा स्तर | कार्यालय अधिक्षक | सहा. आयुक्त | सहा. आयुक्त | |
| विषयपत्र / आदेश निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी | सहा. आयुक्त | अति. आयुक्त | आयुक्त | |

| | | |
|----|---|--|
| ८ | आवश्यक फी:- | शुल्क प्रति अर्ज र.र. २०/- |
| ९ | फी भरण्याची पध्दत:- | रोख |
| १० | अंतिम निर्णय विहित कालावधीमध्ये न घेतला गेल्यास ज्यांना जबाबदार धरायचे त्यांचे नाव व पदनाम | १) अर्ज तपासणी - समाजविकास अधिकारी जबाबदार राहतील. २) प्रशासकिय कामकाज - कार्यालय अधिक्षक जबाबदार राहतील. |
| ११ | सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार अर्ज करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्र. ०२० ६७३३१५०५ | सहा. आयुक्त, नागरवस्ती विकास योजना विभाग तळ मजला, मुख्य इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी ४११०१८ e-mail no- nagarvasti @ pcmcindia.gov.in |